हमारे संघर्ष, हमारा जीवन.....

यह किताब एक प्रयास है, भारत के विभिन्न भागों की एकल महिलाओं के जीवन संघर्ष को कलमबद्ध करने का। यह सत्य जीवन कहानियां दर्शाती हैं, उन असंख्य समस्याओं को, जिनसे एकल महिलाओं को हर पल रूबरू होना पड़ता है। लेकिन साथ ही यह गवाह हैं, उनके अदम्य साहस व शक्ति की। ये कहानियां वर्णित करती हैं संगठन की शक्ति को, संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने को, मैत्री और एकता को।

अधिकारों के लिए अपने संघर्ष को और आगे बढ़ाते हुए 8 राज्यों की 50,000 से अधिक एकल महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही महिला नेतृत्वकर्ताओं ने अक्टूबर 2009 में नींव रखी 'राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच' की। यह किताब समर्पित है उस महत्वपूर्ण अवसर को। राष्ट्रीय मंच के जरिये एकल महिलाएं काम करना चाहती हैं भारतीय सरकार व समाज के साथ, राष्ट्रभर की एकल महिलाओं के अधिकारों के लिए। वे चाहती हैं मजबूत करना राज्य स्तरीय एकल नारी संगठनों को। यह मंच एक आधार है, अनुभव बांटने का, एक दूसरे से सीखने का, आगे बढ़ने का एक ऐसे कल की ओर जहां समाज में सभी के लिए होगी - स्वतंत्रता, न्याय व समानता!!

राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच
भारत

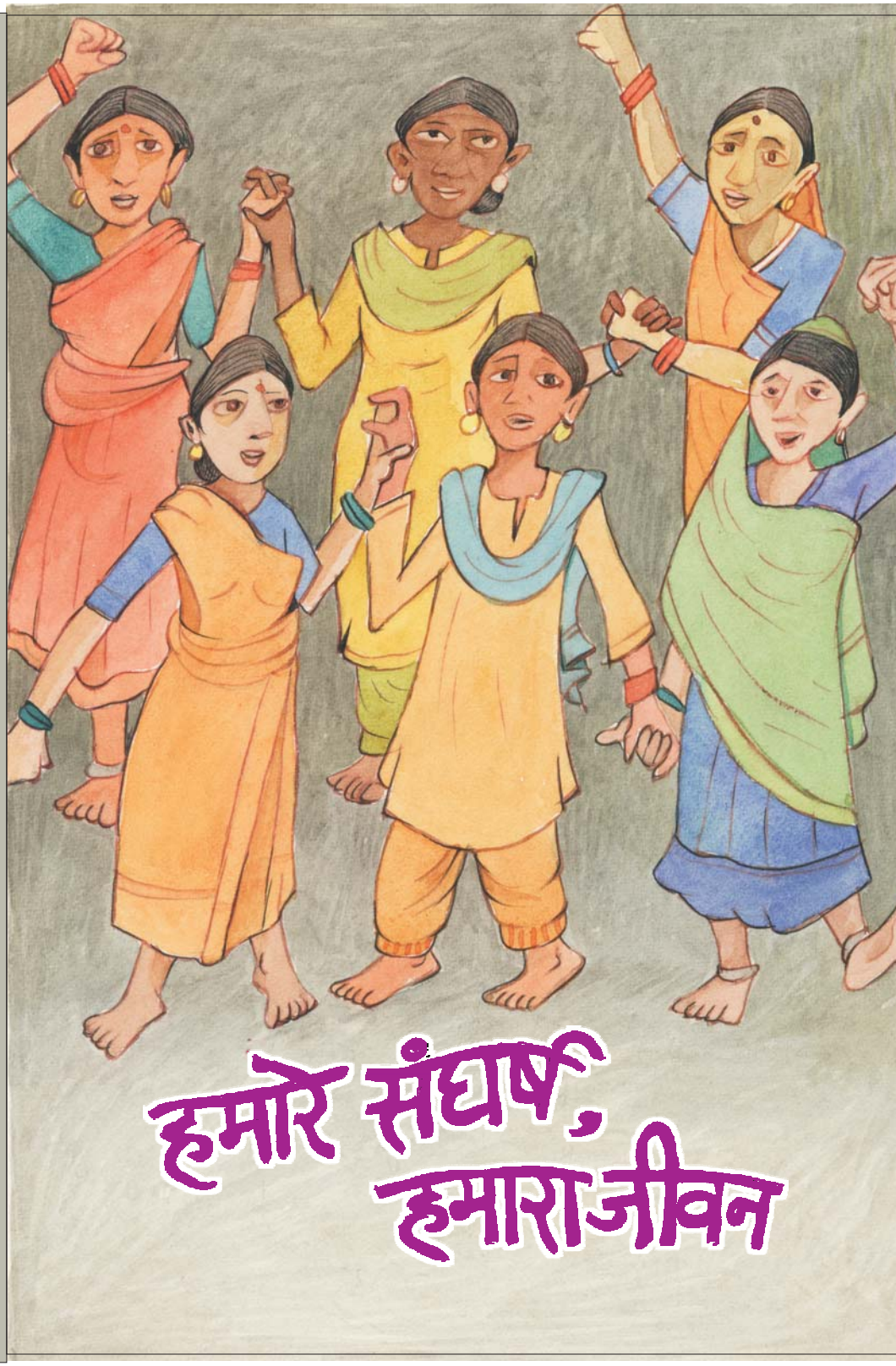

हमारे संघर्ष, हमारा जीवन

भारतीय एकल महिलाओं के जीवन की सच्ची कहानियाँ

राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच
भारत

हमारे संघर्ष, हमारा जीवन

लेखन :
आयोजन कमेटी, राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच
एकल नारी संगठन/समूहों के सहयोग से

संकलन :
सचिवालय, राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच

संपादन :
मंजु शर्मा

सहयोग :
सहयोग समूह, राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच

आवरण चित्र :
प्रशांत सोनी

टाईप एवं डिज़ाईन :
राजकुमार जालोरा

प्रकाशन :
अक्टूबर, 2009
उदयपुर, राजस्थान, भारत

प्रकाशक :
राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच
सचिवालय पता :
39, खारोल कालोनी,
उदयपुर-313004 (राजस्थान), भारत
फोन : 91 294 2451348
फैक्स : 91 294 2451391
ईमेल : natforum09@gmail.com

आमुख

इस किताब को पढ़ते ही, पाठक एहसास करेंगे, भारतीय एकल महिलाओं के अभूतपूर्व साहस और शक्ति का, जिनका परिचय देती हैं एकल जीवन की ये सत्य कहानियां। ये कहानियां ''अच्छी'' कहानियां नहीं हैं, ये कहानियां दर्शाती हैं मानव क्रूरता को, अमानवीय अंधविश्वास को, व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को, सदियों से चले आ रहे क्रूर रीति-रिवाजों को। इन महिलाओं को घर से निकाल फेंका, उन्हें त्याग दिया, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, उन्हें अपने हकों से बेदखल कर दिया और यहां तक कि उन्हें मार ही ड़ाला।

आप अवाक् रह जाएंगे ये महसूस करके कि इन सबके बावजूद अधिकतर महिलाएं जीवित रहीं, अपने खून-पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पाला-पोसा। ये महिलाएं मजबूत हैं, कमजोर नहीं!

आप ये भी जानेंगे कि भारत के कई राज्यों में 'संगठन', 'समूह', 'मंच' हैं - इनके माध्यम से एकल बहनें एक-दूसरे की मदद करने को तत्पर हैं। जहां तक एकल बहनें संगठित हो पाई हैं, वहां पर स्थितियों में कुछ बदलाव आया है - भ्रष्टाचार कम हुआ है और महिलाओं में एक नया जोश, उमंग, उत्साह और आत्म-विश्वास आया है।

'खुद पर भरोसा करना सीखा है मैंने। इसी हिम्मत और मजबूती के बलबूते अपने गांव में अकेली रह रही हूं'

'मैंने वे सब सामाजिक रूढिवादी परम्पराएं तोड़ दीं, जिनमे एक विधवा औरत जकड़ी रहती है। मैंने वर्षों से सूनी पड़ी कलाई में रंग–बिरंगी चूड़ियां पहनीं, माथे पर बिंदी लगाई'

'सहन मत करो, आगे बढ़ो। समाज की सोच में बदलाव लाओ, तभी औरतों को सम्मान और न्याय मिलेगा'

जिन महिलाओं की ये कहानियां हैं वो भिन्न-भिन्न उम्र और भिन्न-भिन्न समुदाय की हैं - सभी विधवा और परित्यकता महिलाएं बूढ़ी नहीं हैं - आप एक 10 साल की विधवा की कहानी भी पढ़ेंगे। समस्याएं व्याप्त हैं - हिंदु समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में, सिक्ख समुदाय में, आदिवासी समुदाय में - सभी समुदायों में। दुर्भाग्यवश, एकल महिलाओं का सीमांतीकरण पूरे देश में होता आया है। ये किताब उनके लिए एक करारा जवाब है जो मानते हैं, ''भारतीय परिवार जरूरत के समय अपने सदस्यों के साथ खड़े होते हैं।'' इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ऐसी कोई एकल महिला नहीं हैं, जिनके परिवार वाले उनका साथ देते। लेकिन इन 3.6 करोड़ से ज्यादा एकल महिलाओं में से कई करोड़ एकल महिलाओं की जिंदगी उनके लिए एक सतत् संघर्ष बनी हुई है।

एकल बहनों के जीवन की सच्ची कहानियों की ये किताब अक्टूबर 2009 में संकलित हुई है। ये एक ऐतिहासिक समय है, जब भारत के अलग-अलग राज्यों से एकल बहनें संगठित हुई और उन्होंने स्थापना की ''राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच'' की। ये किताब दो-दिवसीय स्थापना कार्यक्रम के बाद भी लंबे समय तक पढ़ी जाती रहेगी। हमारी आशा है कि ये किताब उन लोगों को प्रेरणा देगी जो - बस्तियों में, गांवों में, ढाणियों में, पहाड़ों में, मैदानी इलाकों में, रेगिस्तान में काम करते हैं। और प्रेरणा देगी - स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को, सरकारी कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों को, महिलाओं के समुदाय आधारित संगठनों, समूहों, समितियों को। हम सभी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि बहुत बड़ी संख्या में एकल महिलाएं हैं जिन्हें अक्सर नज़रंदाज़ किया जाता है, जिन्हें न ही महिला आंदोलन में और न ही महिला विकास कार्यो मे कभी जगह मिली है।

हमने इस किताब का संकलन इस आशा से भी किया है कि कहानियों के माध्यम से एकल महिलाओं के जीवन से गुजरने के बाद ये स्पष्ट हो जाए कि इन महिलाओं को संगठन की जरूरत है - आश्रम की नहीं! एकल महिलाओं के संगठन, जागरूक और मजबूत नेतृत्व के साथ एक नया आत्म-विश्वास लिये होते हैं, जहां बहनें मिलकर समस्याओं का समाधान करती हैं। विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा अविवाहिता - जिनके के लिए अकसर परिवार में कोई जगह नहीं होती - ऐसी एकल बहनों के लिए संगठन 'वैकल्पिक परिवार' है। इस तरह के संगठनों के उदाहरण मौजूद हैं - राजस्थान, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और बिहार में, और अन्य राज्य इस प्रकिया में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं!

आप इस किताब में देखेंगे कि जो महिलाएं संगठन से जुड़ी हैं उनकी कहानियां ऐसी बहनों की कहानियों से अलग तरीकों से अंत होती हैं, जहां संगठन नहीं है!

आशा है कि आप सिर्फ तथ्यात्मक पहलू ही नहीं जानेंगे, साथ में यह भी जानेंगे कि इन परिस्थितियों को जी रही एकल बहनें क्या महसूस करती हैं। इन कहानियों को सुनने की जरूरत है - जो ज़ाहिर करती हैं - कमजोरी और हिम्मत को, व्याकुलता और साहस को। इन महिलाओं के जीवन संघर्षो की कहानियों को पढ़ने और सुनने से यह स्पष्ट है कि समाज को बदलना होगा, सरकार को एकल महिलाओं के लिए ज़्यादा संसाधन के साथ आगे आना होगा। जाति और समुदाय के क्रूर रीति-रिवाजों को खत्म करना होगा बेटों, बहुओं, ससुराल वालों, मायके वालों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को सुनना और समझना होगा मीड़िया को इनकी आवाज़ बुलंद करते रहना होगा और जो एकल बहनें ये किताब पढ़ती या सुनती हैं, उन्हें एक-दूसरे की मदद करने के लिए संगठित होना होगा, जिससे वे अपने सम्मान से जीने के अधिकार के लिए एक होकर अपनी आवाज़ उठा सकें।

जब वे अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगी, तब वे ही नहीं लाभांवित होंगी, हम सब भी होंगे। जब इन करोड़ों महिलाओं के अंदर छुपे मानव संसाधन को बाहर आने का मौका मिलेगा तो निश्चित ही इनका योगदान भारत के बेहतर भविष्य के लिए अमूल्य होगा।

ये हमारी आशा भी है और विश्वास भी!

[1] जनगणना 2001 के अनुसार, भारत में महिलाओं की संख्या का 7.4 एकल महिलाएं हैं। भारत में 3,43,89,729 विधवा महिलाएं हैं, 23,42,930 तलाकशुदा/परित्यकता महिलाएं हैं - कुल मिलाकर 3,67,32,659 एकल महिलाएं हैं - 3.6 करोड़ से ज्यादा।

विषय सूची

1.	अब अकेली नहीं हूं	1
2.	बच्चे हैं 8, लेकिन सहारा कोई नहीं	7
3.	खर्चा नहीं, सिर्फ पेशियां मिलीं	9
4.	अब थाम ली है कमान हिम्मत की	12
5.	मनमानी नहीं करने दी तो धोखे से मार ड़ाला	15
6.	संगठन से मिली मज़बूती	19
7.	हमें कौन सहारा देगा	23
8.	शादीशुदा नहीं तो क्या जीने का हक नहीं	25
9.	रिवाज़ की भेंट चढ़ गई जिंदगी	28
10.	धीरे-धीरे आ रहा बदलाव	31
11.	क्या खायें और क्या ब्याज़-खोरों को दें	34
12.	सहन मत करो, न्याय के लिए लड़ो	36
13.	मुझे मेरा घर चाहिए	39
14.	दस्तावेज़ तय करेंगे गरीब हैं या नहीं	41
15.	हौसला नहीं खोया	43
16.	चौदह साल के साथ में - ताने, उलहानें और मारपीट	46
17.	भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग कामयाब	48
18.	हिम्मत नहीं तोड़ पाया बलात्कारी	52
19.	नाम के पति का क्या करूं	56
20.	डायन करार देकर, इंसानियत भूले	60
21.	उजाला फ़ैलाने की ठानी है!	63

अब अकेली नहीं हूँ

नाम-जमीला बानू
गांव-मोरस,प्रखण्ड-पिंडवाड़ा
जिला-सिरोही, राज्य-राजस्थान

18 साल की उम्र में जमीला बानू की शादी आरिफ खान से हुई थी। आरिफ खान उदयपुर ज़िले की कोटड़ा प्रखण्ड के एक गांव का रहने वाला था। जमीला के लिए यह शादी जिन्दगी की एक नई शुरूआत थी। सुखी घर गृहस्थी का सपना लिए वह अपने ससुराल आई थी। एक दिन भी नहीं बीता कि उसकी सारी हंसी-खुशी गहरे दुःख में बदल गई। जमीला का पति रात को जमीला को छोड़कर चला गया। जमीला को पता लगा कि वह किसी दूसरी औरत के पास गया है। दुःख और अपमान से वह रातभर रोती रही। जब सुबह आरिफ वापस आया तो उसने दरवाजा नहीं खोला। जमीला ने अपने गुस्से का इज़हार भले ही दरवाजा न खोलकर किया लेकिन इससे आरिफ के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वह जमीला को छोड़कर दूसरी औरत के पास जाता रहा। आरिफ नशा भी करता था और नशे की हालत में जमीला से झगड़ा भी करता था। इन हालात के कारण वह एक महीने से ज्यादा अपने ससुराल में नहीं रह पाई और पीहर में माता-पिता के साथ रहने लगी। तीन साल उसने पीहर में निकाले, इस उम्मीद के सहारे कि शायद आरिफ सुधर जाए, उसका व्यवहार बदल जाए। लेकिन नाउम्मीदी ही मिली जमीला को। आखिरकार तीन साल बाद दोनों का तलाक हो गया।

कुछ समय तक जमीला माता-पिता के साथ रही फिर माता-पिता ने, उसकी मर्ज़ी न होते हुए भी, आबिद खान नाम के एक लड़के से उसकी शादी कर दी, जो उदयपुर की झाड़ोल प्रखण्ड के गांव बिच्छीवाड़ा का रहने वाला था।

जमीला की शादीशुदा जिन्दगी एक बार फिर शुरू हुई लेकिन ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं रह सकी। शादी के कुछ दिन बाद ही आबिद खान बेरोज़गार हो गया। काम की तलाश में जमीला और आबिद खान कोटड़ा प्रखण्ड चले गए। वहां एक कमरा किराये पर लेकर रहने लगे। आबिद खान की असलियत धीरे-धीरे जमीला के सामने खुलने लगी। आबिद देर रात को घर आता था। जमीला देर से आने का कारण पूछती तो कहता, 'तू कौन होती है पूछने वाली। मेरी मर्जी - कहीं भी जाऊं।' जमीला के कहने का उस पर कोई असर नहीं होता। एक दिन वह गया तो लौटकर आया ही नहीं। पहले जमीला सोचती रही कि काम धंधे पर गया होगा लेकिन इंतजार करते-करते जब 15 दिन बीत गए तो जमीला परेशान हो गई। घर में खाने का सामान खत्म हो गया, मकान मालिक किराये के पैसे मांगने लगा। जमीला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था।

परेशान होकर उसने अपने भाई को फोन किया और बताया कि वह 15 दिन से अकेली रह रही है और आबिद की कहीं कोई खबर नहीं है। जमीला का भाई उसे ले गया लेकिन जमीला जानती थी कि उसके पीहर वाले पहले ही बहुत गरीबी की हालत में जिन्दगी गुजार रहे हैं। ज्यादा दिनों तक वह पीहर में भी नहीं रह सकती। जमीला ने अपने पति की खोज-खबर शुरू कर दी। काफी परेशान होने के बाद उसे पता चला कि आबिद उदयपुर में किसी बेकरी पर काम करता है। जमीला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने छोटे भाई को लेकर आबिद खान से मिलने गई। आबिद खान ने जमीला से मिलने से ही मना कर दिया।

काफी कोशिशों के बाद वह जमीला से मिलने के लिए राज़ी हुआ। मिलते ही, इससे पहले कि जमीला कुछ कह पाती, आबिद खाने ने उससे दो-टूक शब्दों में कहा कि, ''मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है, न ही मुझे रिश्ता रखना है।'' आबिद खान के जवाब से पूरी तरह टूट चुकी जमीला ने उसे बताया कि वह मां बनने वाली है। इस बात को सुनकर आबिद खान ने जमीला से कहा, ''हमारे परिवार में पहले ही बहुत सी लड़कियां हैं। अगर तेरी भी लड़की ही हुई तो मैं नहीं आऊंगा।'' आबिद की ऐसी शर्त सुनकर मन ही मन डर गई जमीला और रोते हुए अपने भाई के साथ वापस आ गई। बेटी पैदा होने के बारे में सोचते ही वह कांप उठती! वह सोचती कि अगर बेटी पैदा हुई तो वो क्या करेगी? अपनी तकदीर को कोसने लगती कि उसके नसीब में सुख लिखा ही नहीं है। इन हालातों में जमीला खेतों पर मजदूरी करके अपना गुजारा चलाने लगी। पूरे समय वह अल्लाह से लड़का होने के लिए दुआ मांगती। वह इसी उम्मीद के सहारे जी रही थी कि उसे बेटा ही पैदा होगा और वह फिर से अपने पति के साथ रह पाएगी।

लेकिन ये उम्मीद तक जाती रही जब जमीला को लड़की हुई। लड़की के पैदा होने की खबर सुनते ही उसने मान लिया कि ऊपर वाले ने उसे केवल रोने और दुखी रहने के लिए ही भेजा है। जमीला के ससुराल से कोई उससे मिलने नहीं आया। गरीबी से जूझती जमीला की परेशानी तब और बढ़ गई जब पैदा होने के 20 दिन बाद ही उसकी लड़की बीमार हो गई। आबूरोड प्रखण्ड के अस्पताल में लड़की का इलाज करवाया मगर इलाज के दौरान वह मर गई। अस्पतालवाले उसे अपनी बेटी की लाश भी ले जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि लड़की के इलाज पर जो खर्चा हुआ वह जमीला नहीं दे पाई थी। अपने पैरों की पायल 500 रुपये में गिरवी रखकर उसने अस्पताल का पैसा चुकाया। बच्ची की

लाश लेकर वह पिता के साथ घर आ गई। बच्ची के मर जाने की सूचना उसने उसके अपने पति और ससुराल वालों को भिजवाई मगर कोई नहीं आया। दिनभर इंतजार करने के बाद गांववालों के कहने पर बेटी को दफना दिया गया।

यह वो दिन था जब जमीला सबसे ज्यादा दुखी, निराश हुई और तड़पी। दफन होती बेटी की लाश के साथ जमीला ने मन ही मन एक फैसला किया कि वह ऐसे पुरूष के साथ हर्गिज़ नहीं रहेगी, जो अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर भी नहीं आया। जिस पति के साथ रहने के लिए वह अल्लाह से दिन-रात दुआएं मांगा करती थी उस पर उसका विश्वास उठ गया।

अब जमीला बिल्कुल अकेली थी। आशा और उम्मीद की कोई झलक वह अपनी जिन्दगी में नहीं देख पा रही थी। रोज़ नई कठिनाइयों का सामना जमीला को करना पड़ता। काम के लिये बाहर निकलती तो सभी की नज़र उस पर रहती। लैंगिक शोषण व सामाजिक उपहास दोनों ही स्थितियों से रूबरू होना पड़ता जमीला को। एक बार जब बीमार होने पर डॉकटर द्वारा बताया इंजेक्शन लगवाने वो कम्पाउन्डर के पास गई तो उसने जांच के बहाने जमीला का शोषण किया। इस सब से जमीला को गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि मुकाबला कैसे करे।

एक दिन गांव में वरजू देवी नाम की महिला आई। उन्होंने गांव की महिलाओं के साथ बैठक की और बताया कि वे एकल नारी शक्ति संगठन से हैं जो एकल महिलाओं के साथ काम करता है। संगठन अब से पिंडवाड़ा प्रखण्ड में भी काम शुरू कर रहा है। गांव की अन्य महिलाओं के साथ जमीला भी बैठक में गई थी। बाद में और भी बैठकें हुई जिनमे

जमीला जाती रही। वो एकल नारी संगठन की सदस्य बन गई थी। बैठक में होने वाली बातचीत वह बड़े ध्यान से सुनती थी लेकिन खुद कुछ नहीं बोलती थी। एक बार बैठक में वरजू देवी ने जमीला से पूछा कि वह इतनी चुप क्यों रहती है? जमीला बानू ने अपनी पूरी कहानी वरजू देवी को बताई। वरजू देवी ने जमीला को बताया कि राज्य महिला आयोग आबू रोड में महिला उत्पीड़न पर जनसुनवाई करने वाला है, जहां बहुत सी महिलाएं अपनी समस्या रखेंगी। उन्होंने ये बात रखी कि हमें भी जमीला का केस जनसुनवाई में रखना चाहिए। जनसुनवाई में जमीला ने अपनी आप बीती सभी के सामने सुनाई, उसके केस पर चर्चा भी हुई। अगले दिन अखबार में उसका केस आया और साथ में उसकी फोटो भी छपी।

अखबार की खबर जमीला के ससुराल वालों तक भी पहुंची। खबर और फोटो देखकर ससुरालवाले डर गए और तुरन्त जमीला से मिलने उसके घर आए। उन्होंने जमीला को वापस घर चलने के लिए कहा। लेकिन जमीला ने साफ मना कर दिया और कहा कि, ''अब वह सिर्फ एकल नारी शक्ति संगठन के साथ रहेगी।'' इस पर उसके ससुराल वाले उसका दहेज का सामान उसे लौटाकर और उसे तलाक देकर चले गए।

फिर जमीला ने अपनी जिंदगी एक नये सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया। संगठन से जुड़ने के बाद जमीला ने साक्षरता प्रशिक्षण लिया और आठवीं कक्षा की परीक्षा दी।

संगठन की गतिविधियों में उसकी सक्रियता बढ़ती गई। संगठन से जुड़ी बहनों से उसे बहुत हिम्मत मिली है। खुद पर भरोसा करना सीखा है उसने। इसी हिम्मत और मजबूती के बलबूते वह अपने गांव

मोरस में अकेली रह रही है। गांव में सिर्फ एक ही मुस्लिम घर है बाकी आदिवासी परिवार हैं। पहले जमीला के तीन भाई भी गांव में ही रहते थे। लेकिन उसके भाइयों से हमेशा डर रहता था कि कहीं झगड़े फसाद में उन्हें कुछ हो गया तो उनका परिवार किसके सहारे रहेगा। उन्हें अपनी जमीन व मकान पर गांव के कुछ लोगों द्वारा कब्जा किए जाने का डर भी था। अपने परिवारों को लेकर वे गांव छोड़कर अलग-अलग जगहों पर चले गए। लेकिन जमीला ने तय किया कि वह गांव में ही रहेगी और जो भी स्थिति होगी उसका मुकाबला करेगी।

संगठन से जुड़ने के बाद उसने डरना छोड़ दिया था। संगठन की एक सक्रिय सदस्य के तौर पर वह भी अन्य महिलाओं की मदद के लिए तैयार रहती है। गांव में सबके दु:ख दर्द में साथ देती है। संगठन से जुड़ने के बाद उसकी जानकारी भी बढ़ी है जिनको वह गांव वालों के बीच बांटती है।

उन जानकारियों का फायदा गांव वालों को भी मिला है। गांव वालों को जमीला पर इतना विश्वास है कि मानते हैं कि गांव से जुड़ी हर समस्या में जमीला हमेशा उनके साथ है। इसलिए जमीला को अब अपने बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गांव वाले उसका बहुत ख्याल रखते हैं। पिछले सात साल से वह गांव में रह रही है। अब वह संगठन की कार्यकर्ता भी है और वो सिरोही जिले के दो प्रखण्ड (पिंडवाडा व शिवगंज) में काम कर रही है।

बच्चे हैं आठ लेकिन सहारा कोई नहीं

राजपती देवी
गांव-उसरी बाज़ार, प्रखण्ड-बैकुण्ठपुर,
जिला-गोपालगंज, राज्य-बिहार

70 साल की राजपती टीबी (तपैदिक) की मरीज है। सरकारी अस्पताल में उसका निःशुल्क इलाज हो सकता है, यह जानते हुए भी उसके लिए अस्पताल पहुंचना मुश्किल है। राजपती के गांव से सरकारी अस्पताल 10 किलोमीटर दूर है। वहां तक पैदल चलकर नहीं पहुंचा जा सकता। रिक्शेवाले 75 रुपये किराया मांगते हैं। इतने पैसे कहां से लाए राजपती ? वृद्ध और बीमार राजपती में अब इतनी ताकत नहीं बची कि मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा सके। पुश्तैनी जायदाद के नाम पर एक मकान था जो राजपती के पति सहित चार भाइयों में बंट गया था। पति का हिस्सा राजपती के चार बेटों ने आपस में बांट लिया। दो छोटे बेटों के हिस्से में जो जगह आई उसी में राजपती रहती थी।

राजपती के छह बेटे और दो बेटियां हैं। चारों बेटों और एक बेटी की शादी पति के जीवित रहते हो गई थी। 30 साल पहले जब उसके पति की मृत्यु हुई उस समय से तीन बच्चों को मजदूरी करके ही पाला। एक बेटी की शादी राजपती ने किसी तरह कर्जा लेकर कर दी। जब तक शरीर में ताकत थी, राजपती ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाये। अपनी मेहनत मजदूरी के बलबूते पर ही अपना पेट पालती रही। लेकिन बूढ़ा और बीमार शरीर कब तक साथ देता। धीरे-धीरे राजपती कमज़ोर और शरीर से लाचार होती गई।

छह बेटों में से किसी बेटे को ख्याल नहीं आया कि उनकी मां के प्रति भी कोई जिम्मेदारी है। मजबूरन राजपती ने पंचायत के जरिये

अपने बेटों से मदद मांगी। पंचों के कहने पर सभी बेटों ने कहा कि वे एक-एक महीना मां को रखेंगे और उसे खाना, कपड़ा देंगे। बेटों के यहां रहने पर उसे दो वक्त का खाना जरूर मिला लेकिन पहनने को कपड़े और बीमार पड़ने पर दवा का इंतजाम नहीं होता था।

बेटों के व्यवहार से दुखी और निराश राजपती ने गांव के मुखिया से अपनी वृद्धावस्था पेंशन दिलवाने की प्रार्थना की। एक दिन गांव का हरेन्द्र नाम का आदमी राजपती से कुछ कागजों पर अंगूठा लगवाकर ले गया। उसने राजपती से कहा कि वृद्धावस्था पेंशन दिलवा देगा। छह महीने बाद उस आदमी ने 500 रुपये राजपती को दिये और 200 रुपये खुद रख लिए। राजपती ने पूछा तो बोला कि इस काम में काफी पैसा खर्च हुआ है। इस घटना के बाद राजपती को कोई पैसा नहीं मिला।

राजपती के पास बीपीएल कार्ड भी नहीं है, इसलिए उसे सरकारी योजनाओं से भी कोई लाभ नहीं मिल पाता। प्रगति शिल्प कला संस्थान नामक संस्था से उसे जरूर कई बार आर्थिक मदद मिली है। फल, दवा व कपड़े भी मिले हैं लेकिन राजपती को सरकार की ओर से स्थायी मदद चाहिए। जिससे उसका गुज़ारा हो सके।

जिन्दगी के इस मोड़ पर जब राजपती को पारिवारिक सहयोग की सख्त जरूरत है उसका साथ कोई नहीं दे रहा। भरे पूरे परिवार के बावजूद वह अंत्तः अकेली है। रिश्ते, नातों का उसके लिए कोई अर्थ नहीं रहा।

इस साल मार्च में वह एकल नारी संघर्ष समिति, बिहार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय एकल महिला समागम में शामिल हुई। वहां उसने अपनी जैसी बहुत सी दुखी बहनों को देखा। राजपती भी संगठन से जुड़ गई और उसे उम्मीद है कि संगठन से जुड़ी महिलाएं अपनी समस्याओं का समाधान मिलकर करेंगी।

खर्चा नहीं सिर्फ पेशियां मिलीं

नाम-कान्ता देवी
गांव-नौणी, प्रखण्ड-सदर
जिला-बिलासपुर, राज्य-हिमाचल प्रदेश

कान्ता देवी की शादी सन् 2000 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही कान्ता देवी का पति उसके साथ दहेज कम लाने के लिए मारपीट करने लगा। शराब पीकर और तेज आवाज में टेप चलाकर वह कान्ता देवी की पिटाई करता था ताकि बाहर के लोग उसकी आवाज ना सुन सके। कान्ता की सास भी अपने बेटे को मारने-पीटने से रोकती नहीं थी, बल्कि पति के साथ वह भी कान्ता को पीटती थी। कान्ता कई-कई दिन ऐसी हालात में रही जब उसे पेट भर खाना भी नहीं मिला। एक बार उसने रात के ढाई बजे कान्ता को मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। मारपीट का सिलसिला यूं ही चलता रहा।

इन हालात से परेशान कान्ता ने एक दिन अपने मायके में खबर भिजवाई कि उसके साथ ससुराल में बहुत मारपीट होती है। वे लोग आकर उसे ले जाएं। कान्ता के मौसा और पिता कान्ता से मिलने ससुराल गए। वहां उन्होने कान्ता की हालत देखी तो उन्होंने तय किया कि वे थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। थाने में पुलिस ने दहेज उत्पीड़न व मारपीट का मामला, धारा 498 ए के तहत दर्ज किया। थाने से एक महिला व पुरूष कांस्टेबल कान्ता के ससुराल गए और वहां कान्ता के

पति व सास-ससुर को गिरतार कर लिया। कुछ समय बाद तीनों की जमानत हो गई। बाद में कान्ता को यह भी पता चला कि 498 ए के तहत जो केस किया गया था उसमें भी उसके ससुराल वाले छूट गए। वो हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है? उसने पता किया तो वो इस बात से भौचक्की रह गई कि केस के दौरान कान्ता के वकील ने कान्ता से एक कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे, जिसमें कान्ता द्वारा केस वापस लिए जाने की बात लिखी हुई थी। कान्ता का वकील उसके ससुराल वालों से मिल गया था और उसने ऐसा खेल खेला जिसमें आगे कार्यवाही की गुंजाइश ही खत्म हो जाए।

498 ए केस के खत्म होने के बाद कान्ता ने गुजारा भत्ते के लिए सन 2001 में केस किया। सन् 2003 में उसके केस की सुनवाई हुई और 250 रुपये खर्चा मिलना तय हुआ। पति ने ये खर्चा 4-5 माह दिया फिर बंद कर दिया। ससुराल वालों ने कान्ता के खिलाफ कोर्ट में अपील की। उनका कहना था कि यह अपनी आजीविका चलाने में सक्षम है, ब्यूटी पार्लर चलाती है। इस केस का फैसला कान्ता के हक में हुआ और कोर्ट द्वारा उसे 1000 रुपये खर्चा देना तय किया गया। कान्ता को अभी तक यह राशि नहीं मिली है क्योंकि पति पेशी पर नहीं आता। पुलिस वाले जब 'समन' लेकर उसके घर जाते हैं तो उसके घर वाले कह देते हैं कि यहां नहीं रहते। उसका हमसे कोई लेना-देना नहीं है। कान्ता ने सास ससुर के नाम समन निकालने की बात कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने सास ससुर के नाम समन निकाले लेकिन पेशी में उन्होंने कहा हमने उसे घर से निकाल दिया है। कान्ता के केस में पेशियां अभी भी चल रही हैं लेकिन पति तक पुलिस समन नहीं पहुंचा पा रही है। कान्ता ने खुद पति का पूरा पता ठिकाना मालूम किया और कोर्ट में बताया। पुलिस ने वहां समन भेजे लेकिन वह पेशी पर नहीं आया। कान्ता एक बार खुद समन उसको

हाथ में पकड़ाकर आई। वह पेशी पर तो आया लेकिन कोर्ट की सुनवाई से पहले ही भाग गया। दरअसल हर पेशी में कान्ता जाती है लेकिन उसका पति नहीं आता। आने जाने में कान्ता का खर्चा भी होता है। लेकिन पति से अब तक कोई खर्चा नहीं मिला है।

एक बार एक महिला ने उसे उसकी दुकान में आकर ही एकल नारी शक्ति संगठन की बैठक के बारे में जानकारी दी थी। कान्ता जब उस बैठक में गई तभी उसकी मुलाकात निर्मल जी से हुई। निर्मल जी को कान्ता ने अपनी पूरी कहानी लिखकर दी। कान्ता भी उसी दिन से संगठन से जुड़ गई है। कान्ता के केस में एकल नारी शक्ति संगठन उसकी पूरी मदद कर रहा है। कान्ता का केस पिछले आठ साल से कोर्ट में चल रहा है। इस केस की पूरी तहकीकात भी एकल नारी शक्ति संगठन के सदस्यों ने की है। थाने में जाकर उन्होंने थाना प्रभारी से इस केस के बारे में पूरी जानकारी ली। कान्ता बिलासपुर में एक दुकान में ब्यूटी पार्लर चलाती है। इसी दुकान में उसका खाना, पीना और सोना होता है।

कान्ता के केस को संगठन ने समाचार पत्रों में भी दिया है और टीवी पर भी इस केस को दिखाया गया है। फिलहाल कान्ता जिला मण्डी में स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग कर रही है। उसे यह भी पता चला है कि उसके पति ने दूसरी लड़की के साथ मन्दिर में शादी कर ली है। इसकी छानबीन भी वह संगठन की मदद से कर रही है। कान्ता जानती है कि एक पत्नी के रहते वह दूसरी शादी नहीं कर सकता इसलिए वह पहले पूरी जानकारी जुटा रही है ताकि इस बार उसका केस कमजोर ना पड़े।

अब थाम ली है कमान हिम्मत की

नाम-चानो देवी
गांव-पंचबनिया, पोस्ट-तरडीहा,
वाया-मधेपुर,
जिला-मधुबनी, राज्य-बिहार

एक ओझा के अंधविश्वास के कारण चानो देवी के पति को अपनी जान गवानी पड़ी। कई साल पहले जब उनके बच्चे भी बहुत छोटे थे, उनके साथ यह हादसा हुआ। चानो देवी के पति अपने बच्चों के साथ पास के गांव में एक रिश्तेदार के घर से दावत खाकर लौट रहे थे। गांव के बीच में एक नदी पड़ती है जो शुरूआती बारिश में ही उफनने लगती है। उस समय भी नदी में पानी भरा हुआ था। नदी में किसी का एक बच्चा डूब गया था। वहां एक ओझा गांव वालों को बता रहा था कि बच्चा ज़िन्दा है और देवी मां ने उसे नदी के नीचे बिठा रखा है।

गांव में खूब भीड़ लगी हुई थी। चानो देवी के पति भी वहां चले गए। ओझा कह रहा था कि बच्चा ज़िन्दा है अगर कोई व्यक्ति नदी में घुसकर निकालेगा तभी बच्चा ऊपर आएगा। चानो देवी के पति ने कहा कि तब तो किसी को जल्द ही नदी में घुसकर बच्चे को निकालना चाहिए। ओझा ने चानो देवी के पति को जबरन पकड़कर नदी में धकेल दिया। चानो देवी के पति को तैरना नहीं आता था, उन्हें पानी से बहुत डर लगता था। वे नदी में चिल्लाते रहे, अपनी जिन्दगी और मौत से जूझते रहे लेकिन बच नहीं पाए।

कुछ लोगों ने ओझा को फटकार भी लगाई और चानो देवी के पति को बचाने की कोशिश भी की लेकिन नदी के उफान के कारण सारे प्रयास असफल हो गए। बाद में ओझा और वे लोग भाग गए जिन्होंने चानो देवी के पति को जबरन धकेला था। चानो देवी के पति का अंतिम संस्कार भी करने के लिए कोई नहीं आया। चानो देवी ने नजदीकी रिश्तेदारों के सहयोग से खुद पति का दाह संस्कार किया।

इस घटना के बाद चानो देवी बिल्कुल अकेली रह गई। गांव व घर के लोगों ने भी साथ नहीं दिया। ऐसी स्थिति में वह ओझा पर केस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने सोचा अपने बच्चों के साथ उसे इसी गांव में गुज़र बसर करनी है। केस करने से लोग उसके विरोधी हो जाएंगे। इसलिए डर के कारण वह चुप हो गई। मेहनत मजदूरी करके उसने अपने बच्चों को पाला। चानो देवी को पंचायत से भी कोई मदद नहीं मिली। न उसके पास राशन कार्ड है, इन्दिरा आवास योजना का लाभ भी उसे नहीं मिला है। यहां तक कि मतदाता सूची में भी उसका नाम नहीं है। चानो देवी अपनी मेहनत और हिम्मत के बलबूते पर ही जिन्दा है। आज उसके दोनों बेटे बड़े हो गए हैं और मजदूरी करते हैं। इससे चानो देवी की रोजी रोटी का इंतजाम हो जाता है।

चानो देवी एकल नारी संघर्ष समिति, बिहार के प्रखण्ड सम्मेलन में जुड़ी थी। संगठन के सदस्यों ने उसे पटना में होने वाले राज्य स्तरीय एकल महिला समागम में शामिल होने को कहा। चानो देवी अपने साथ तीन-चार एकल बहनों को लेकर पटना गई। चानो देवी कहती हैं 'राज्य स्तरीय समागम में आने के बाद तो जैसे मेरी आंखें ही खुल गई। मैंने वे सब सामाजिक रूढिवादी परम्पराएं तोड़ दी जिनसे एक विधवा औरत जकड़ी रहती है। मैंने वर्षो से सूनी पड़ी कलाई में रंग बिरंगी चुड़ियां पहनी, माथे पर बिंदी लगाई। घर लौटी तो गांव में लोगों ने अफवाह

फैला दी कि चानो देवी ने पटना में जाकर दूसरी शादी कर ली। लोगों ने ताने कसे, चिढ़ाया और इससे भी मन नहीं भरा तो समाज के लोगों ने मुझे समाज से बाहर कर दिया'। चानो देवी हालांकि अब भी समाज से बाहर हैं पर अब वह डरने वाली चानो देवी नहीं जो गांव समाज के डर से चुप रह जाती थी। ऐसे समय में चानो देवी के दोनों बेटे और बहुओं ने उनका बहुत साथ दिया। चानो देवी ने अपने जैसी एकल महिलाओं को संगठित करना शुरू कर दिया। आज भी वह चूडी पहनती हैं, बिन्दी लगाती हैं। चानो देवी की बाते एकल बहनों को समझ में आने लगी है। चानो देवी ने ठान लिया है कि उसे एकल बहनों का संगठन बनाना है और हर अन्याय का मुकाबला करना है।

मनमानी नहीं करने दी तो धोखे से मार डाला

नाम-शनिचरी देवी
गांव-कोतोगाड़ा
जिला-बोकारो, राज्य-झारखण्ड

शनिचरी देवी अनुसूचित समुदाय की गरीब महिला, थोड़ी-बहुत खेती व लकडियां काटकर वह अपना गुजर-बसर करती। शनिचरी का पति रांची में मजदूरी करने गया था और बेटा मामा के घर रहता था। बेटी की उसने शादी कर दी।

शनिचरी देवी को इन्दिरा आवास मिला था। उसको बनाने में जिन लोगों ने काम किया था, रिवाज के तहत शनिचरी देवी ने उन्हें बकरे का मीट और भात खिलाया, लेकिन शराब पिलाने से पना कर दिया। भीम गंझू नाम का व्यक्ति, जो शनिचरी देवी के ही कुटुम्ब का था, अपने साथ गांव के निवाई ठाकुर को लेकर रात के एक बजे शनिचरी देवी के घर आया। शनिचरी से वह शराब के लिए पैसों की मांग करने लगा। उसने शनिचरी से कहा कि मीट-भात तो खिला दिया पर शराब नहीं पिलाई। इसलिए शराब के पैसे दो। शनिचरी देवी ने साफ मना कर दिया कि शराब के लिए पैसा नहीं देगी।

उस दिन तो वे दोनों चले गए लेकिन उन्होने अब हर रोज शनिचरी के घर आना शुरू कर दिया। शनिचरी घर में अकेली रहती थी। वे दोनों चाहते थे कि शनिचरी उनसे शारीरिक सम्बन्ध बनाए। इसके लिए भीम गंझू व निवाई ठाकुर उसे तरह-तरह के लालच देते थे। कभी मिठाई लेकर आते तो कभी मछली बनाने के लिए शनिचरी को कहते।

शनिचरी ने बहुत कड़े शब्दों में उनसे कह दिया कि उसके घर रात को आने की जरूरत नहीं है।

अपनी दाल गलती न देखकर भीम गंझू व निवाई ठाकुर ने आस-पड़ौस के लोगों को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ये लोग शनिचरी देवी के चरित्र पर लांछन लगाते और उसके बारे में गलत बातें फैलाते। इन बातों का शनिचरी पर कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने उससे गाली-गलौच करनी शुरू कर दी।

एक बार भीम गंझू का बेटा बीमार पड़ा। सही समय पर इलाज न होने के कारण वह मर गया। भीम गंझू ने बेटे की मौत का जिम्मेदार शनिचरी को बताया। भीम गंझू ने कहा कि ''ये डायन है इसने मेरे बेटे को खा लिया''। शनिचरी के घर के आंगन में वह उसके साथ गाली-गलौच करने लगा। शनिचरी देवी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह शनिचरी देवी के बाल पकड़कर आंगन से बाहर ले आया और उसके साथ मारपीट करने लगा। अपनी पत्नी व भाभी को भी उसने शनिचरी देवी को मारने के लिए कहा। भीम गंझू मारपीट तक ही नहीं रूका उसने अपने कुटुम्ब के लोगों को कहा कि वे शनिचरी को मिट्टी के बर्तन में पखाना घोलकर पिलाएं। उसे जबरन पखाना पिलाया गया। इसमें निवाई ठाकुर भी शामिल था। गांव वाले सब खड़े देखते रहे। वे उसे कुटुम्ब परिवार का झगड़ा मानकर चुप खड़े हुए थे।

शनिचरी देवी अकेली थी। न पति घर पर था ना ही बेटा। वह अकेले ही इन सब अत्याचारों को झेल रही थी। शनिचरी देवी ने पंचायत बिठाई पर उसे न्याय नहीं मिला। शनिचरी देवी ने कसमार थाने में इन लोगों के खिलाफ केस कर दिया। केस की खबर सुनते ही भीम गंझू और निवाई ठाकुर शनिचरी देवी के पति के पास रांची चले गए। उसके पति को शराब पिलाकर खूब उकसाया और कहा कि उसकी पत्नी चरित्रहीन

है, वह मजदूरी करके उसके लिए पैसे भेजता है और वह दूसरे मर्दो के साथ मौज करती है। ऐसी बातें सुनकर शनिचरी देवी का पति आग बबूला हो गया और बिना सही बात जाने वह गांव आकर शनिचरी देवी को हथियार लेकर मारने दौड़ा। शनिचरी देवी किसी तरह जान बचाकर अपने भतीजे गोविन्द गंझू के साथ खेराचातर आ गई।

खेराचातर में वह एकल नारी शक्ति संगठन के सदस्यों से मिली और मदद मांगी। खेराचातर में शनिचरी देवी मजदूरी करके अपना पेट भर रही थी। संगठन की एक सदस्य की आर्थिक मदद से वह किराये का घर लेकर रह रही थी। शनिचरी 2005 से ही संगठन से जुड़ी है। संगठन उसके केस पर दबाव डाल रहा था लेकिन शनिचरी देवी के लिए उसका पति ही दुश्मन हो गया। वह उसे धमकी देता कि तेन्दूघाट आयी तो काटकर फैंक देंगे। इस डर से शनिचरी देवी ने कोर्ट में जाना भी बंद कर दिया। दूसरी तरफ उसके केस में अभियुक्तों को जमानत दे दी गई। पर वह न्याय की लड़ाई में कामयाब होती जा रही थी। एकल नारी सशक्ति संगठन झारखण्ड ने शनीचरी देवी को हौसला बंधाया, तो वह फिर कोर्ट में तारीख पर हाज़िर होने लगी। गवाह भी तैयार हो गए थे। गवाही भी दी जा चुकी थी। फरवरी माह में आरोपियों को निश्चित ही सजा होनी थी।

इस बीच शनिचरी का पति जो आरोपियों का साथ दे रहा था शनिचरी से मिला और उसे प्रलोभन दिया कि अगर वह केस वापस ले लेती है तो उसे 15,000 रू देंगे और इसके बाद वह सुख-शांति से अपने पति के साथ रह सकेगी। संगठन को खबर दिये बिना शनिचरी ने अपने पति की यह बात मान ली और केस वापस ले लिया। जब संगठन कार्यकर्ता शनिचरी से उसके भाड़े के मकान पर मिलीं तो उसका पति वहां मौजूद था। शनिचरी देवी ने हॅसते हुए कहा कि 'दीदी अब मेरे पति मुझे घर ले जाने के लिए आये हैं, अब यह समझ गये हैं कि पत्नी के बिना जीना कठिन है'।

कार्यकर्ता के मन में संशय था पर उन्होंने जब शनिचरी को सचेत करना चाहा तो शनिचरी का पति बुधु गंझू भी बोला कि 'नहीं दीदी जो हो गया सो हो गया। अब हम दोनों हँसी खुशी, दाम्पत्य जीवन व्यत्ति करेगें'। शनिचरी देवी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अन्त में कार्यकर्ता ने शनिचरी को समझाया कि गहराई से सोच समझ कर ही कोई कदम रखे। केस वापस लेने की बात इस मुलाकात में भी ज़ाहिर नहीं की गई।

शनिचरी पति का विश्वास कर खैराचातर से अपने घर कोतोगाड़ा चली गई। इसी दौरान 05.04.09 को पति ने उससे झगड़ा कर सारा पैसा छीन लिया और मारपीट भी की। दो दिन बाद 07.04.09 को शनिचरी एकल नारी सशक्ति संगठन के स्थानीय कार्यालय खैराचातर आई और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को सारी बात बताई। उसने बताया कि केस वापस लेकर उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। कार्यकर्ताओं ने शनिचरी को बताया कि आगे क्या करना है यह योजना सभी के साथ बैठकर बनायेंगे और शनिचरी को भी इस पर विचार करने के लिये कहा। वह शाम 4 बजे घर वापस चली गई। उसी रात उसका पति बुधु गंझू मुर्गा-शराब लाया और शनिचरी देवी से मुर्गा बनवाया। शनिचरी के पति ने उसे भी मुर्गा खिलाया व शराब पिलाई और आधी रात को कुल्हाड़ी से बेरहमी से मार कर उसकी हत्या कर दी। कोतोगाड़ा से सटे गॉव सुकी और डाभाडीह की प्रखण्ड कमिटी सदस्यों को जब यह खबर मिली तो वे आस-पास की एकल महिलाओं को साथ लेकर ट्रेक्टर से थाने गई और पुलिस को इस हत्याकांड की जानकारी दी। पुलिस ने तुरन्त जाकर उसके पति को गिरफतार कर तेन्दुघाट जेल भेज दिया। अभी अपराधी बुधु गंझू जेल में है। संगठन ने शनिचरी के हत्यारे के लिये आजीवन कारावास की मांग की है।

संगठन से मिली मज़बूती

शमा बानो
नयापुरा शहरी क्षेत्र,
जिला-कोटा, राज्य-राजस्थान

कोटा शहर के नयापुरा शहरी क्षेत्र में रहने वाली शमा बानो के पति की मृत्यु सन् 2007 में हो गई थी। पति के जीवित रहते शमा बानो अपने चार बच्चों के साथ ससुराल में ही रह रही थी। पति की मृत्यु होते ही ससुरालवालों का रूख एकदम बदल गया। रस्मों के नाम पर वे शमा बानो को हर तरह से तंग करने लगे। मुस्लिम समुदाय में विधवा महिला को चार महीने दस दिन इद्दत में गुजारने पड़ते हैं। इस दौरान उसे घर में ही रहना होता है। इस रिवाज के चलते विधवा महिला रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती, चूडियां नहीं पहन सकती, कोई गहना भी नहीं पहन सकती। यहां तक कि विधवा महिला को नहाने के लिए साबुन भी नहीं देते।

शमा बानो पर इसी तरह की पाबंदियां लगा दी गई। उसे इद्दत के नाम पर एक कमरे में बंद कर दिया गया। शमा बानो ने बड़ी हिम्मत से इस रिवाज का विरोध किया और इद्दत के दिन भुगतने से मना कर दिया। शमा बानो के ससुराल वालों को यह बात बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने कहा कि हर विधवा औरत को इद्दत भुगतनी पड़ती है तुझे भी भुगतनी पड़ेगी।

शमा बानो के विरोध करते ही ससुरालवालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। जिस कमरे में शमा बानो को रखा गया वहां बिजली नहीं

थी, उसको और बच्चों को अंधेरे में रहना पड़ता था। खाना समय पर नहीं देते थे। शमा बानो ने इन हालात में तीन महीने निकाले लेकिन उसके बाद उसने अपने भाई को बुलाया और उसके साथ पीहर चली गई। कुछ दिन वह पीहर में रही। शमा बानो पीहर वालों पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। उसकी दो बेटियां भी शादी लायक थी। उसने तय किया कि वह ससुराल में रहेगी और कोई रोजगार करने की कोशिश करेगी। ससुराल पहुंचते ही सास और देवर ने उससे झगड़ना शुरू कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि शमा बानो ससुराल में अपना हक जमाए। उन्होंने कहा कि 'अब तेरा यहां कोई हक नहीं है। तू यहां नहीं रह सकती।' उन्होंने बहुत कोशिश की मगर शमा बानो वहां से गई नहीं। शमा बानो को कोई रोजगार करना था। उसने अपने पति की चाय की दुकान व गन्ने का रस निकालने की मशीन अपने देवर से मांगी। शमा बानो के पति की मृत्यु के बाद देवर ने पति की इन सब चीज़ों पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने पति का सामान शमा बानो को देने से साफ मना कर दिया।

इसी बीच वह एकल नारी शक्ति संगठन की सदस्य बनी। शमा बानो ने अपनी समस्या संगठन की ब्लाक कमेटी बैठक में बताई। संगठन के सदस्यों ने थाने जाकर थाना प्रभारी को शमा बानो की समस्या बताई। थाने के हस्तक्षेप के कारण शमा बानो को सिर्फ गन्ने का रस निकालने वाली मशीन मिल पाई। चाय की दुकान पर देवर ने अपना कब्ज़ा बताया। थाना प्रभारी ने ससुराल वालों को इस बात के लिए भी पाबंद किया कि वे शमा बानो पर कोई ज्यादती नहीं करेंगे।

ससुराल वालों ने शमा बानो को तंग करने के कई तरीके निकाल लिए। वे सीधे-सीधे उसे कुछ नहीं कहते थे मगर हालात ऐसे पैदा कर दिए ताकि शमा बानो खुद ही वहां से चली जाए। शमा बानो के कमरे का बिजली कनेक्शन काट दिया, इससे शमा बानो के बच्चे रात को पढ़ भी

नहीं सकते थे। पंखा नहीं चल सकता था। शमा बानो ने गन्ने के रस की मशीन को 3 हजार रुपये में बेचकर बिजली का कनेक्शन ले लिया। अपने गुजारे के लिए वह मौहल्ले के घरों में झाड़ू पौछे का काम करने लगी। अपनी दो बेटियों की शादी उसने कर्जा लेकर की। शादी में भी ससुरालवालों ने कोई मदद नहीं की, बल्कि वे उसके चरित्र पर लांछन लगाते रहते थे। वे उसे बदचलन कहते और आस-पड़ौस में उसके बारे में गलत बातें फैलाते रहते थे। देवर ने शमा बानो की छोटी बेटी के स्कूल में अध्यापकों को भी कह दिया कि यह औरत बदचलन है। अध्यापक भी देवर की बातों में आ गये और कहने लगे कि यदि ऐसी औरत के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ेंगे तो अन्य बच्चों के माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। अध्यापक इस आधार पर शमा बानो की बेटी को स्कूल से तो निकाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उस बच्ची को मानसिक रूप से परेशान करना शुरू किया। मानसिक परेशानी के कारण बेटी ठीक से पढ़ नहीं पाई और आठवीं कक्षा की परीक्षा में फैल हो गई। शमा बानो की बेटी ने पढ़ाई छोड़ दी और मां के साथ ही झाड़ू पौछे का काम करने लगी।

शमा बानो अपनी मेहनत से लगातार यह कोशिश कर रही थी कि परिवार का भरण-पोषण ठीक तरह से हो जाए लेकिन शमा बानो के ससुराल वाले उसके हर काम में रूकावट पैदा करते रहते थे। शमा बानो सुबह-शाम नयापुरा क्षेत्र में अण्डे का ठेला लगाने लगी। बीच के समय में वह घरों में काम करने जाती। शमा बानो के देवर ने पुलिस वालों के साथ मिलकर उसके ठेले को हटवा दिया। शमा बानो फिर कोटा के एम. बी. एस. अस्पताल के सामने ठेला लगाने लगी। यहां भी पुलिस शमा बानो को परेशान करती और ठेला हटाने के लिए कहती। एक बार पुलिस ने उसका ठेला पलट दिया जिससे सारे अण्डे फूट गए। शमा बानो का बहुत नुकसान हुआ। शमा बानो ने यह बात संगठन के सदस्यों को बताई। संगठन के सदस्य फिर थाने गए। उन्होंने थाना प्रभारी से कहा पुलिस के लोग इसका

ठेला हटा देते हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि यह बार-बार शिकायत लेकर आती है। झगड़ा तो पारिवारिक है। संगठन के सदस्यों ने कहा कि ठेला लगाना उसकी आजीविका का साधन है। आप कैसे मना कर सकते हो। थाना प्रभारी ने उसे ठेला लगाने की इजाज़त दे दी।

थोड़े दिन बाद पुलिस वालों ने शमा बानो के ठेले पर चेन से बन्धी कुर्सियों को तोड़ दिया था। संगठन के सदस्यों ने फिर थाने जाकर शिकायत की और कहा कि 'आपकी इजाज़त के बाद ही यह ठेला लगा रही थी फिर पुलिस क्यों इसे परेशान कर रही है। 'थाना प्रभारी ने कहा कि 'अब इसे कोई तंग नहीं करेगा। बस इसे ठेला सड़क से थोडा पीछे लगाना होगा'। शमा बानो अब बिना किसी परेशानी के ठेला लगाती है।

सन् 2009 में वह कुछ महिलाओं के साथ पेंशन की राशि लेने गई। उस समय पटवारी ने आचार संहिता चलने का बहाना बनाकर उनको पेंशन नहीं दी। उन्हें बिना दस्तखत किये ही लौटा दिया। यह बात शमा बानो ने संगठन में बताई तो संगठन के सदस्य ने एक अखबार के दतर फोन कर दिया। अखबार ने इस पूरी घटना को छाप दिया।

शमा बानो कहती है-'मेरी जिदंगी में नयापन और हिम्मत संगठन से आई है। संगठन से जुड़ी तो अपने जैसी बहुत सी बहनों को दुखी और निराश देखा था। उन्हीं बहनों को संगठन की मदद से मज़बूत होते भी देखा है। मेरी समस्या में भी संगठन के सदस्य हमेशा जुड़े रहे। मेरे अंदर तो हिम्मत आई ही लेकिन जरूरतमंद बहनों की मदद करना मैंने संगठन से सीखा है। विधवा व जरूरतमंद बहनों के काम करने वाले के लिए अब मैं कई सरकारी दतरों में जाती हूं। वहां के लोग मुझे पहचानने लगे हैं। संगठन के साथ ने संघर्ष करने की शक्ति दी है और मेरी सोच को भी बदला है। अपनी जिन्दगी के फैसले खुद लेती हूं और अपने हक के लिए संघर्ष करने से डर नहीं लगता।

हमें कौन सहारा देगा

नाम-रामपती
गांव-देवापुर, प्रखण्ड-लालगंज
जिला-प्रतापगढ़, राज्य-उत्तर प्रदेश

अन्धी और बीमार सास, युवा होती बेटियां, आमदमी का कोई जरिया नहीं, पति की जमीन पर जेठ का कब्जा। इन हालात में रामपती अपने दिन कैसे गुजार रही है, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है।

सात साल पहले रामपती के पति की मृत्यु हुई तो परिवार का सारा बोझ रामपती के कंधों पर आ गया। पति के हिस्से में 5 बिस्वा (42.15 स्क्वायर मीटर) जमीन थी जिससे किसी तरह गुजारा होता था, लेकिन पति की आंख बन्द होते ही वह जमीन भी रामपती की नहीं रही। रामपती को बेसहारा जानकर जेठ ने वह जमीन हड़प ली। जमीन का कब्जा उसे मिल जाए इसके लिए उसने दीवानी अदालत में केस कर रखा है। केस की पैरवी करने के लिए वह वकील नहीं कर सकती। हाडतोड़ मेहनत के बावजूद किसी तरह दो जून का खाना ही जुट पाती है। इन हालात में वकील को देने के लिए पैसे कहां से लाए?

गांव के ही एक व्यक्ति के खेतों में रामपती मजदूरी करती है। धान छीलना, निंदाई, गुडाई जैसे काम का उसे इतना पैसा नहीं मिलता कि उसके परिवार का गुजारा अच्छी तरह हो जाए।

रामपती के बीमार पड़ने पर उसके यहां कई-कई दिन चूल्हा नहीं जलता। गांव में उसकी हालत पर तरस खाकर कुछ लोग बच्चों को खाना खिला देते हैं। कई बार सिर्फ चबैना चबाकर गुजारा करना पड़ता है।

रामपती को विधवा पेंशन मिलती है, लेकिन नियमित रूप से नहीं। कभी तीन सो कभी चार-चार महीने पेंशन का पैसा नहीं मिला। मिलता भी है तो पेंशन के 300 रुपये तो अंधी व बीमार सास की दवाईयों तथा मुकदमे की पैरवी के लिए भी पूरे नहीं पड़ते। रामपती के अकेली होने का फायदा राशन वाला भी उठाता है। बीपीएल कार्ड के बावजूद वह उसे पूरा अनाज नहीं देता। जब भी वह विरोध करती है तो उसका कार्ड जब्त करने की धमकी देता है।

रामपती का बेटा अभी सिर्फ 10 साल का है। रामपती को लगता है जब तक उसका बेटा बड़ा होकर कोई काम करने लायक नहीं होगा तब तक उसे ऐसे ही जूझना पड़ेगा। तीन बेटियों में से एक की शादी तो उसने किसी तरह कर्जा लेकर गांव वालों की मदद से कर दी। 17 और 15 वर्ष की दो बेटियों के लिए उसे बहुत चिन्ता रहती है कि उनकी शादी कैसे कर पाएगी।

35 साल की उम्र में रामपती खुद को बूढ़ी और बीमार महसूस करती है। वह अपने को कम अपने बेटियों की शादी को ले कर ज्यादा चिंतित है।

शादीशुदा नहीं तो क्या जीने का हक नहीं

रूकसाना शेख
जिला-मुम्बई, राज्य-महाराष्ट्र

मुम्बई की 40 वर्षीय रूकसाना शेख अविवाहित मुस्लिम महिला है। रूकसाना की पढ़ाई जल्दी ही छूट गई थी। रूकसाना की जहां मंगनी की गई वहां दहेज की मांग ज्यादा थी इसलिए रूकसाना के घरवालों ने मंगनी तोड़ दी।

अपने माता-पिता व पांच भाइयों के साथ रूकसाना मुम्बई की एक बस्ती में रहती थी। भाइयों ने रूकसाना पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। हर समय रोक-टोक व उसके कहीं बाहर आने जाने पर भी पाबंदी थी। घर में इसी कारण झगड़े होते थे। रूकसाना के पिता भाइयों को समझाते थे। रूकसाना पर बेवजह की रोक टोक लगाने के लिए वे मना करते थे, मगर भाई नहीं मानते थे। जैसे-जैसे भाइयों की शादी हुई वे परिवार से अलग हो गए। रूकसाना के तीन बड़े भाई परिवार की जिम्मेदारी छोड़कर अलग रहने लगे।

रूकसाना के पिता की मृत्यु हो गई तो घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। घर की पूरी जिम्मेदारी के साथ दो छोटे भाइयों की जिम्मेदारी भी रूकसाना पर ही थी। पिता अपने जीवित रहते देख चुके थे कि बेटे रूकसाना को परेशान करते हैं। वे उसको घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए उन्होंने मरने से पहले घर रूकसाना के नाम कर दिया था। पिता के मरने के बाद अलग रहने वाले भाइयों की रूकसाना को मिले घर पर नजर थी। उन्हें लगता था कि रूकसाना को घर की क्या जरूरत है। उसने शादी भी नहीं की है। वे रूकसाना पर घर छोड़ने का दबाव

डालते। रूकसाना ने घर के एक हिस्से को किराये पर दे दिया ताकि मां, दो छोटे भाइयों एवं उसका गुजारा उन पैसों से होता रहे।

भाई घर तो लेना चाहते थे मगर मां की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थे। घर में आकर वे रूकसाना के साथ गाली-गलौच व मारपीट करते थे। ऐसी हरकतों से उनका मन नहीं भरा तो वे एक दिन जमात के लोगों को लेकर घर आ गए। जमात के लोग भाइयों की ही बात को समर्थन दे रहे थे लेकिन रूकसाना डटी रहीं। उसने दबाव में कोई फैसला नहीं किया।

बस्ती के लोग रूकसाना के चरित्र पर अंगुली उठाते, उसे ताने देते सिर्फ इसलिए कि वह बाकी औरतों की तरह शादी करके नहीं रह रही थी। बस्ती वाले भाइयों को भड़का देते थे, उनसे कहते कि बहन को मारकर भगाओ और घर पर कब्जा करो। इस तरह कई बार रूकसाना और भाइयों के बीच मारपीट होती थी। भाइयों को मां की खराब तबियत की कोई परवाह नहीं थी। मां भाइयों के रवैये से दुखी होती थी और डर भी जाती थी। रूकसाना ने ही किराये से मिले पैसे इकट्ठे करके मां का दो बार ऑपरेशन करवाया। उस समय कोई भाई मदद के लिए नहीं आया।

संघर्ष के इसी दौर में रूकसाना की मुलाकात अख्तरी आपा से हुई जो 'सहेली ग्रुप' से जुड़ी हुई थी। ग्रुप की कई बहनों ने रूकसाना को हिम्मत और हौसला दिया। अखतरी आपा रूकसाना को कहती थी 'कैसे भी हालात हों, आप हक मत छोड़ना'। उनकी बात सुनकर रूकसाना में आत्मविश्वास बढ़ जाता था। अख्तरी आपा से जो मजबूती रूकसाना को मिली इससे रूकसाना में भी एक जज़्बा पैदा हुआ। उसने बस्ती की एकल महिलाओं को हिम्मत देने के लिए एक ग्रुप बनाया।

रूकसाना जिस बस्ती में रहती थी एक बार वहां बिल्डर आए, वे पूरी बस्ती को निकालकर एक बड़ी टावर बनाना चाहते थे इसलिए बस्ती के मकानों की मुंहमांगी कीमत देने को तैयार थे। रूकसाना के तीनों भाइयों को जब यह मालूम पड़ा तो वे फिर रूकसाना पर दबाव बनाने लगे। वे वहीं आकर रहने लगे, रूकसाना के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। एक दिन भाईयों ने रूकसाना के साथ इतनी मारपीट की कि उसका दांत टूट गया। रूकसाना के बाल पकड़कर खींच लिए। रूकसाना खून से लथपथ हालात में ही थाने गई और अपनी रिपोर्ट लिखवाई। सरकारी अस्पताल में उसका मेडिकल हुआ। 'सहेली ग्रुप' से जुड़ने के बाद रूकसाना कानून के बारे में भी थोड़ा जानने लगी थी, फिर उसे ग्रुप का पूरा सहयोग भी मिल रहा था।

सहेली ग्रुप की मदद से रूकसाना ने अपने घर के कागजात वकील को दिखाए और बिल्डर से बेचने के लिए करार किया। बैंक में खाता भी उसने ग्रुप की बहनों की मदद से खुलवाया। घर का जो पैसा रूकसाना को मिला उसमें से उसने सभी भाइयों को भी दिया और अपने व मां के लिए एक घर खरीदा। बाकी बचा पैसा उसने बैंक में जमा करा दिया।

रूकसाना के संघर्ष में कदम कदम पर जिसने साथ दिया वो सहेली ग्रुप व उसकी बहनें थी इसलिए रूकसाना को मां के अलावा सहेली ग्रुप ही आज अपना सच्चा परिवार लगता है जो हर सुख-दुख में उसके साथ खड़ा रहा है।

रिवाज़ की भेंट चढ़ गई ज़िन्दगी

मानकुंवर
गांव-गुलाबजी का गुड़ा, पंचायत-भालुण्डी
प्रखण्ड-भदेसर
जिला-चित्तौड़गढ़, राज्य-राजस्थान

मानकुंवर की शादी 7 साल की उम्र में हो गई थी, जब वह शादी का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े और मिठाई से समझती थी। मानकुंवर जब 10 साल की थी तो उसके पति की मृत्यु हो गई। छोटी सी मानकुंवर की चूडिया, बिन्दी उतरवा दी गई और उसे काले कपड़े पहना दिए गए। और जब पति की मृत्यु हुई उस समय भी वह नहीं जानती थी कि 'विधवा' होना क्या है। जिंदगी की इन दो बड़ी घटनाओं ने उसका पूरा जीवन ही बदल दिया। इसका अहसास भी मानकुंवर को एक उम्र बीत जाने के बाद ही हुआ। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक का समय पीहर और ससुराल में आते जाते ही बीत गया।

समाज की नजर में विधवा मानकुंवर को बच्ची होने की इतनी ही छूट मिली कि काले कपड़ों को छोड़कर हरे रंग के कपड़े पहनने को मिल गए। पति की मृत्यु के बाद ससुराल में रहने की रस्म पूरी करके वह फिर पीहर आ गई। मानकुंवर थोड़ी बड़ी हुई तो उसे बहुत सी बातें खटकने लगी। जब कोई शादी समारोह होता तो घर के सब लोग जाते लेकिन मानकुंवर को घर पर ही रहने को कहा जाता। मानकुंवर रोती, ज़िद्द करती, उसके मन में कई तरह के सवाल उठते। उसे बाहर क्यों नहीं

जाने देते, वह अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन सकती। चूडी क्यों नहीं पहन सकती। घरवालों से पूछती तो कई बार डांट सुनने को मिलती, लेकिन मानकुंवर ने ज़िद्द करना नहीं छोड़ा। उसकी जिद्द के कारण धीरे-धीरे उसे अलग-अलग रंगों के कपड़े पहनने को दिए गए। नाक में लोंग, कानों में बालियां और पैरों में पायल पहनने लगी।

18-19 साल की मानकुंवर की सहेलियां व परिवार की लड़कियां अपने ससुराल की बातें करती, पति की बात करती तो मानकुंवर को बहुत दुख होता। उसको लगता कि ईश्वर ने उसी की किस्मत में दुख लिखा है। पूरा जीवन अकेले गुज़ारने की बात सोचते ही वह गहरी निराशा से भर जाती। वह भी चाहती थी कि उसकी दूसरी शादी हो, पर कहे कैसे और किससे? फिर राजपूत समाज में विधवा पुनर्विवाह की परम्परा उसने देखी नहीं थी और परिवार की इज़्ज़त का बोझ जिसे वह बचपन से ही उठा रही थी उसे सारी उम्र जकड़े रहा। मानकुंवर अन्दर ही अन्दर इच्छाओं को दबाती रही।

22 साल की उम्र में उसके ससुर की मृत्यु हो गई। उस समय वह फिर ससुराल गई। ससुराल में वह अपनी सास की सेवा करती। बचा हुआ जीवन उसे ऐसे ही काटना है, इसी में संतोष कर लिया था मानकुंवर ने। मानकुंवर के हिस्से में एक कमरा, 2 बीघा खेत व एक कुंआ पति की सम्पति में से आया। पहले ससुराल में विधवा जानकर देवर देवरानी ताने मारते रहते थे। दुख भी होता था लेकिन सबकुछ सहना अपनी नियती मान लिया था उसने। फिर उसे कहीं से एकल नारी शक्ति संगठन के बारे में पता लगा। संगठन से जुड़ने के बाद अब मानकंवर को बाकी लोगों के तानों का असर नहीं होता बल्कि अब वह मजबूती से उन्हें जवाब भी दे देती है। लेकन वो अपने मन की पीड़ा सहज रूप से इन शब्दों में जाहिर कर देती थी -

''बचपन मां-बाप के साथ बीत गया,

जवानी काम करके पीहर-ससुराल के बीच कट गई,

बुढ़ापा आया तो बहुत चिंता है, बुढ़ापे का कोई साथी नहीं है।''

अब मानकंवर 55 साल की है, वो पिछले 10 सालों से संगठन के साथ जुड़ी है। वो संगठन कार्यकर्ता भी है और एक ब्लाक का काम भी वही करती है। संगठन के काम से बाहर जाती रहती है। अकेले आने जाने का डर मन से निकल गया है। खुद की स्थितियों से लड़ते लड़ते मानकुंवर अब दूसरी औरतों के लिए लड़ना सीख गई है। गांव में उसकी एक पहचान बनी है। यह पहचान निराश व दुखी मानकुंवर की नहीं बल्कि एक मज़बूत औरत की है।

जब वह संगठन के कार्यक्रमों में भाग लेती है तो बहुत मधुर गीत गाती है, खूब नाचती है, खूब हंसती है। वो कहती है कि

कम से कम उम्र के आखरी पड़ाव में तो मुझे खुलकर जीने का मौका मिला।

धीरे–धीरे आ रहा है बदलाव

नाम-बेबी बाई
गांव-मोरखेड़ा, प्रखण्ड व जिला-मंदसोर
राज्य-मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र मंदसोर, नीमच व रतलाम में बसा है, बाछड़ा समुदाय। अन्य समुदायों से इनका संबंध न के बराबर है। इस समुदाय की रिहायशी बस्तियां बिल्कुल अलग-अलग होती हैं। पाम्परिक रूप से बाछड़ा समुदाय पूरी तरह परिवार की लड़कियों पर आश्रित है। 10-12 साल की उम्र से ही लड़कियों को यौनकर्म में उतार दिया जाता है। लड़कियां चाहे या न चाहे उन्हें मजबूरी में भी समुदाय की परम्परा को निभाना पड़ता है।

दूसरी तरफ यदि लड़की की शादी करनी हो तो बहुत छोटी उम्र में ही उसका रिश्ता तय कर दिया जाता है। जिस दिन से रिश्ता होता है उसी दिन से लड़की वाले किश्तों में पैसा वसूल करना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर एक लड़की की शादी का मूल्य डेढ लाख से 2 लाख के बीच होता है। बाछड़ा समुदाय की लड़कियां दोहरे शोषण की शिकार हैं। जो परिवार पैसा देकर लड़की को अपने घर लाता है वह हमेशा उसे दबाकर रखता है। घरेलू हिंसा भी होती है। 'वधू मूल्य' यानि पैसा देकर बहू खरीदना इस समुदाय की एक परम्परा है। किसी भी कारण से यदि लड़की के द्वारा शादी बरकरार नहीं रखी जाती, तो उसे जाति पंचायत

द्वारा अग्नि परीक्षा जैसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है या ससुराल वालों को दो गुना पैसा देना पड़ता है।

45 वर्षीय बेबी बाई इसी बाछड़ा समुदाय की महिला है जिसे 10-11 साल की उम्र में ही यौन कर्म में डाल दिया गया। बेबी बाई चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए परिवार की जिम्मेदारी व समुदाय के रिवाज के चलते उसे यौन कर्म में उतार दिया गया। बेबी बाई ने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ-साथ अपने दोनों भाइयों की शादी की। 'वधू मूल्य' की परम्परा के कारण बेबी बाई को दोनों भाइयों की शादी में भी काफी पैसा खर्च करना पड़ा। बेबी बाई कभी नहीं चाहती थी कि यौन कर्म से जुड़कर अपना जीवन बिताए। लेकिन इसके सिवा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। आमतौर पर लड़की की कमाई पर निर्भर परिवार, नहीं चाहता कि लड़की किसी के साथ अपना घर बसाए।

बाछडा समुदाय की परम्परा के विरूद्ध बेबी बाई एक लड़के को पसंद करने लगी तथा उसके साथ शादी करके मुम्बई चली गई। बेबी बाई के दिन अच्छे गुजर रहे थे तभी उसे एक दिन मालूम पड़ा कि उसके पति को एक गंभीर बीमारी है। यह जानते हुए भी बेबी बाई ने मुन्नालाल का साथ नहीं छोड़ा। दैहिक शोषण के नर्क में वह किसी भी कीमत पर दोबारा जाना नहीं चाहती थी।

बेबी बाई की तीन लड़कियां व एक लड़का है। मुम्बई में रहते हुए एक दिन उसके पति की मौत हो गई। ससुराल वालों ने बेबी बाई को नहीं अपनाया। पति के मरने के बाद बेबी बाई के पास मोरखेड़ा लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। मजबूर होकर बेबी बाई अपने गावं मोरखेड़ा लौट आई। परिवार ने फिर उसे यौनकर्म में धकेलना चाहा, मगर इस बार उसने अकेले रहकर ही जिदंगी बिताने का फैसला किया।

निरन्तर संघर्ष करते हुए बेबी बाई ने तय किया कि वह अपने बच्चों को इस नर्क में नहीं जाने देगी। उसने अपने एक बेटे व एक बेटी की शादी कर दी है। अपनी दो बेटियों को उसने आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास में रहकर पढ़ाया है। एक बेटी 12 वीं कक्षा तक पढ़ाई करके नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही है दूसरी 10 वीं कक्षा में पढ़ती है। बेबी बाई आशा के तहत स्टाफ नर्स बनना चाहती हैं, लेकिन ट्रेनिंग के लिये फीस जुटाने में असमर्थ हैं। उन्हें ऋण लेने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

बेबी बाई जिस बाछड़ा समुदाय से ताल्लुक रखती है उसे अन्य समुदाय अच्छी नजर से नहीं देखते। बाछड़ा समुदाय की परम्पराओं के कारण इस समुदाय के लोगों को वे अपने से हीन मानते हैं। इन चुनौतियों से जूझते हुए उसने अपने बच्चों ही नहीं, गांव के बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ा है। 8 साल पहले वह 'भोर' संस्था से जुड़ी जो रतलाम जिले में बाछड़ा समुदाय के साथ काम कर रही है। आज बेबी बाई भी अपने समुदाय के विकास के लिए काम कर रही है।

आज गांव के अधिकांश बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बेबी बाई भी अपने जैसी बहनों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है।

क्या खायें और क्या ब्याज़–खोरों को दें

रजवन्ता
ग्राम पंचायत-हरिकिसुन दुबे, प्रखण्ड-लालगंज,
जिला-प्रतापगढ़, राज्य-उत्तर प्रदेश

रजवन्ता के पति भुलई की मौत 2 साल पहले बीमारी से हो गई। बेटा राजकुमार अपनी पत्नी के साथ अलग रहता है। बेटे से रजवन्ता को कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाती। बेटा खुद नरेगा में मजदूरी करता है।

एक साल पहले जब वह शौच के लिए जा रही थी किसी ने उसे मोटर साइकिल से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वह गिरते ही बेहोश हो गई। कुछ लोगों ने उसे इस हालत में देखा तो मोटर साइकिल वालों को पकड़ लिया। मोटर साइकिल वाले स्थानीय और प्रभावशाली लोग थे इसलिए गांव के लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। रजवन्ता के इलाज का पैसा भी उन्होंने नहीं दिया बल्कि उससे एक कागज पर दस्तखत करवाकर घर भेज दिया।

रजवन्ता को इलाज करवाने के लिए भी दर-दर भटकना पड़ा। गांव के ही एक व्यक्ति से उसने ब्याज पर पैसा लिया और इलाज करवाया। 100 रुपये पर 10 रुपये की ब्याज के साथ उसे उधार मिला जिसे वह आज तक चुका नहीं पाई है। पैसे के अभाव में आधे-अधूरे इलाज का नतीजा यह हुआ कि उसके पैर पूरी तरह ठीक नहीं हो सके। बैसाखी के सहारे ही वह थोड़ा बहुत चल सकती है।

पैरों से लाचार 55 साल की रजवन्ता अब सिर्फ घर पर बैठकर पत्तल दोने बना सकती है। उसके गांव हरिकिसुन दुबे में ज़्यादातर लोग पत्तल दोना बनाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। यह जंगल के किनारे बसा गांव है।

रजवन्ता के पैर ठीक थे तब वह जंगल से पत्ते तोड़ लाती थी। किसी तरह अपना गुज़ारा कर लेती थी। अब चलने-फिरने से लाचार है। बड़ी मुश्किल से वह दिन में 12 या 15 रुपये कमा पाती है। कभी-कभी इतने पैसे भी नहीं मिलते।

रजवन्ता को पेंशन मिलती जरूर है पर 6 से 8 माह के बाद ही खाते में आती है। बीपीएल का लाल कार्ड है पर उसके पास राशन उठाने का पैसा ही नहीं होता। ब्याज पर पैसा देने वाला उसे परेशान करता है। कई बार ज़िल्लत भी सहन करनी पड़ती है। रजवन्ता को समझ में नहीं आता कि वह इन स्थितियों से कैसे निपटे। एक-एक दिन गुजारना भारी पड़ता है। बेटा भी सहारा नहीं देता। रात-रातभर उसे नींद नहीं आती। सुबह होते ही एक ही चिन्ता सताती है उसे

''आज का दिन कैसे गुज़रेगा, मेरा क्या होगा?''

सहन मत करो, न्याय के लिए लड़ो

अबैदा सय्यद
जिला-मुम्बई, राज्य-महाराष्ट्र

अबैदा अपने माता-पिता की इकलौती संतान है। उन्होंने बहुत लाड़-प्यार से अबैदा को पाला। अबैदा ने सातवीं कक्षा तक पढ़ाई भी की है। घर की हालत अच्छी थी। 22 साल की अबैदा ने जिस लड़के को पसंद किया उसके माता-पिता ने उसी के साथ उसकी शादी करवा दी। वह अबैदा की मामी का भाई ही था। मां ने अबैदा को घर का सब सामान दिया था। इस दौरान अबैदा की मां सउदी अरब में काम करने गई व एक तरह से वो अबैदा के घर का पूरा खर्च उठाती थी।

मां ने अपनी सारी कमाई अबैदा के परिवार पर खर्च कर दी। अबैदा का पति कुछ काम नहीं करता था। उसको आराम करने की आदत पड़ गई थी। अबैदा की मां के पैसे वह बिना सोचे समझे खर्च करता रहता था।

शादी के बाद अबैदा को एक लड़का हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था। मां ने भी प्यार से अबैदा को बहुत सी चीज़ें दी थी। थोड़े दिन बाद अबैदा के पिता की मृत्यु हो गई। अबैदा की मां सउदी अरब से लौटकर आ गई। मां अबैदा के साथ ही रहती थी। अबैदा को दूसरा बच्चा हुआ। अब उसके पास दो बच्चे थे। अबैदा की मां भी थक गई थी और बीमार भी रहने लगी थी। मां का कमाया हुआ पैसा अबैदा का पति उड़ा रहा था। घर के हालात दिनों दिन बिगड़ रहे थे। उसके पति पर इसका कोई असर नहीं था, वो घर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहा था। जब अबैदा की मां के सारे पैसे खत्म हो गए तो अबैदा के पति की प्रताड़ना शुरू हुई।

एक दिन उसने अबैदा को यह कहकर जुबानी तलाक दे दिया कि 'तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम्हारा कद कम है'। इसलिए तलाक दे रहा हूं। जिस अबैदा के साथ उसने प्यार किया, वही अबैदा उसे अब पसंद नहीं थी। तब उसे अबैदा का पैसा दिखाई दे रहा था। बच्चों की जिम्मेदारी आते ही पति को अबैदा का कद कम लगने लगा। तलाक देने के बाद उसने बस्ती में दूसरी औरत से शादी कर ली।

पति अबैदा को छोड़कर चला गया। बूढी मां व दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अबैदा पर आ गई। घर का सामान भी धीरे-धीरे खत्म हो रहा था। आस-पड़ौस, रिश्तेदार कोई भी मदद के लिए नहीं आया। कुरान में जुबानी तलाक मंजूर नहीं है पर समाज के लोगों ने मंजूर कर लिया। जिस बस्ती में अबैदा रहती थी उसी बस्ती की एक औरत से उसके पति ने शादी की लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। दस साल अबैदा ने संघर्ष करते हुए ही बिता दिए।

अब अबैदा की उम्र 43 वष है। वो अपनी बूढी मां व दो बच्चों के साथ मुम्बई की एक बस्ती में रहती है और अपने गुज़ारे के लिए घरों में झाड़ू, पौछा, बर्तन व कपड़े धोने का काम करती है।

अबैदा की मुलाकात एक दिन अख्तरी से हुई जो महिला मण्डल की सदस्य है। उसने अबैदा का परिचय महिला मण्डल में करवा दी। अख्तरी सहेली ग्रुप से भी जुड़ी हुई थी। उसने अबैदा की पहचान वहां भी करवा दी। अबैदा को पता चला कि वह अकेली ही दुखी नहीं है, उसके जैसी बहुत लड़कियां और महिलाएं हैं, जिनको आदमी ने बिना वजह छोड़ दिया है। अबैदा को ग्रुप से जुड़कर अच्छा लगने लगा। उसकी हिम्मत बढ़ गई। अबैदा ने अपना केस महिला मण्डल में भी डाल दिया। पति से खर्चे की मांग भी केस में रखी।

पुलिस में भी सहेली ग्रुप की मदद से केस किया। मां की बीमारी, बच्चों की पढ़ाई सब कामों में अबैदा को सहेली ग्रुप की मदद व सलाह मिली। सहेली ग्रुप ने उसे 'आया बाई' की ट्रेनिंग के लिए भेजा। ट्रेनिंग के बाद वह घर और अस्पताल में आया बाई का काम करने लगी। वहां मरीज व बूढे लोगों की देखभाल का काम था। इस काम में अच्छा पैसा मिलता था। अबैदा के पति ने पुलिस स्टेशन में उसको खर्चा देना मंजूर किया। कुछ दिन तो दिया लेकिन आज भी अबैदा की लड़ाई जारी है। अपने अकेलेपन व 15-20 साल के संघर्ष को वह पैसों में कैसे गिने, इससे उसकी तकलीफों को क्या राहत मिलेगी?

अबैदा को लगता है अकेली जानकर लोगों ने उस पर कीचड़ उछाला। आया बाई का काम करते हुए उसे रात को घर लौटने में देर हो जाती थी या कभी रात की ड्यूटी होती थी तो लोग कहते 'पता नहीं कहां से मुंह काला करके आई है'? 'पेट क्यों बड़ा है'? ऐसे न जाने कितने सवालों से वह रात-दिन जूझती थी। सहेली ग्रुप की हिम्मत से वह अपना काम करती गई और अपनी जैसी एकल महिलाओं को भी हिम्मत देती थी।

सहेली ग्रुप के कारण उसे अपनी तकलीफ और दु:ख बांटने की जगह मिली। उसके साथ जो अन्याय हुआ वह किसी और के साथ ना हो इसी सोच के साथ वह सहेली से जुड़ी है। सभी बहनों को हिम्मत और मजबूती देने का काम करती है। अबैदा का एक ही कहना है

''सहन मत करो, आगे बढ़ो। समाज की सोच में बदलाव लाओ तभी औरतों को सम्मान व न्याय मिलेगा''।

मुझे मेरा घर चाहिए

नाम-मणिबेन करशन
गांव-थाणीश्वर, प्रखण्ड-रापर
जिला-कच्छ, राज्य-गुजरात

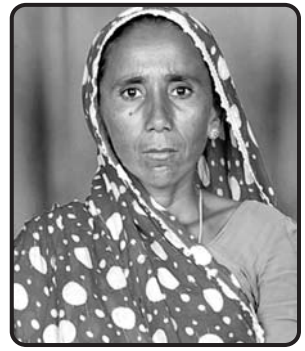

गरीब विधवा महिला को समाज ही नहीं उसके नजदीकी समझे जाने वाले परिवार भी परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। 37 वर्षीय मणिबेन के पति जब तक जीवित थे, तब तक उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पति की मृत्यु होते ही उसे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आज हालत यह है कि मणिबेन को शहर छोड़कर गांव में आना पड़ा है। गांव में उसके बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। विधवा पेंशन के पैसों से वह अपना और तीन बच्चों का पेट भर रही है।

मणिबेन के पास एक मकान था जो 2001 में गुजरात में आए भूकम्प से गिर गया था। इस मकान की मरम्मत के लिए सरकार से सहायता मिली थी। पति की मृत्यु के बाद उस मकान पर मणिबेन के जेठों ने कब्जा कर लिया। वे मणिबेन को मकान में घुसने नहीं देते। मणिबेन ने रापर प्रखण्ड के फास्ट ट्रेक कोर्ट में केस कर रखा है।

इस दौरान मणिबेन ने अपना गुजारा चलाने के लिए एक बालिका विद्यालय में काम करना शुरू किया, जहां उसे 500 रुपये प्रति महीना मिलते थे, जिससे वह किसी तरह अपने घर का गुजारा चला रही थी। लेकिन मणिबेन के जेठ ने स्कूल के संचालकों को मणिबेन के खिलाफ

भड़का दिया। उन्होंने मणिबेन को नौकरी से निकाल दिया। मणिबेन के जेठ ने समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाकर भी गलत सूचनाएं दी जिससे उसकी विधवा पेंशन भी बंद हो गई।

इस बीच उन्हें एकल नारी शक्ति मंच के बारे में पता चला और वे मंच की सदस्य बन गई। संगठन की मदद से उसे अपनी रूकी हुई 12 माह की पेंशन मिल पाई।

फिलहाल मणिबेन गांव के पैसेवाले लोगों के यहां गाय, भैंस का गोबर उठाने का काम करती है। इस काम के उसे 15 रुपये दिन के हिसाब से मिलते हैं। मणिबेन ने 'नरेगा' (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत आवेदन किया है। उसे उम्मीद है कि 'जॉब कार्ड' मिलने पर उसे काम मिल जाएगा।

कोर्ट केस अभी चल रहा है, जिसमें तारीखों पर तारीखें मिल रही हैं। मणिबेन के जेठ मकान को छोड़ना नहीं चाहते लेकिन मणिबेन कहती है ''मुझे मेरा घर मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए।'

दस्तावेज़ तय करेंगे गरीब हैं या नहीं

सारांबेन लघा हुसैन कुम्हार
गांव-बेरमेटी, प्रखण्ड-अवडाषा
जिला-कच्छ भुज, राज्य-गुजरात

सारांबेन के पास रहने को घर नहीं है। जंगल से लकड़ियां काटकर उसने खुद ही एक टूटी-फूटी झौंपडी बना ली है। सारांबेन के ससुराल वालों के पास ज़मीन है पर सारांबेन को कुछ नहीं मिला। सारांबेन के पति की मृत्यु 11 साल पहले टीबी/तपैदिक से हो गई थी। उसके देवर जेठ ने पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और बड़े-बड़े मकान बना लिए। सारांबेन दर-दर की ठोकरें खाती रही। गांव में सब जानते हैं कि सारांबेन कितनी गरीब है लेकिन इसके बावजूद उसका नाम बी. पी. एल. सूची में नहीं है, राशन कार्ड नहीं है और विधवा पेंशन भी नहीं मिल रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ उसे नहीं मिलता। मजदूरी करके वह अपना और बेटी का गुज़ारा चला रही है। सारांबेन की तीन बेटियां हैं। दो बेटियों की शादी तो उसने गांव वालों की मदद से कर दी। 11 साल की सबसे छोटी बेटी पहले पाठशाला में पढ़ने जाती थी लेकिन अब उसने पढ़ना छोड़ दिया है।

सारांबेन खुद पढ़ी लिखी नहीं है। गांव के पोस्टमेन से उसने विधवा पेंशन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पेंशन मिलने की प्रक्रिया बहुत लम्बी है। पहले सारे कागज इक्ट्ठे कर लो। सारांबेन ने सारे औपचारिक दस्तावेज तैयार करके भी दिए पर उसे विधवा पेंशन नहीं मिली। दस्तावेज़ तैयार करने के लिये फोटो खिंचवाना या फोटोकॉपी जैसा खर्चा भी सारांबेन मुश्किल से जुटा पाती है। इस बात को दो साल

हो गए हैं। अभी तक उसे एक पैसा भी नहीं मिला है। गांव में कई अन्य महिलाओं को विधवा पेंशन मिल रही है।

साराबेन की बेटी को भी किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिली। साराबेन को सब जगह टालमटोल का रवैया ही नज़र आया।

बेटियों की शादी के वक्त वह इतना परेशान हो गई थी कि उसे लगा कि इससे तो ज़हर खाकर मर जाना अच्छा है। साराबेन के पास एक रूपया नहीं था और 15 दिन में शादी करनी थी। शादी का इन्तज़ाम कैसे होगा इसी चिन्ता में उसको रातभर नींद नहीं आती थी। कोई उपाय न देख उसने मरने का विचार बना लिया था। उस समय छोटी बेटी शफीना ने कहा कि दूसरे गांव चलकर मजदूरी करेंगे। बेटी की बात ने साराबेन को सोचने पर मजबूर कर दिया। साराबेन ने सोचा अगर वह मर गई तो उसकी बेटी का क्या होगा। साराबेन कहती है, ''इन्हीं दुःखों के कारण महिलाएं मर रही हैं। अकेली महिला को ना तो सरकार मदद करती है ना ही कुटुंब, समाज। तब अकेली औरत कैसे जीए। इसलिए वह निराश होकर मरने की बात सोचती है।''

हौसला नहीं खोया

कमल पथिक
जिला-झालावाड़ा
राज्य-राजस्थान

कमल पथिक एकल नारी शक्ति संगठन राजस्थान के शुरूआती सदस्यों में से एक है। 1999 में संगठन से जुड़ी तो फिर पीछे की बीत गई ज़िन्दगी को पलटकर नहीं देखा। हिम्मत और हौंसले से एक-एक कदम बढ़ाती कमल ने उन बहनों को ताकत देने का काम किया है जो घर व समाज द्वारा प्रताड़ित रही हैं। कभी खुद कमल ज़िन्दगी के ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां दुःख और अपमान के सिवा कुछ नहीं था।

शादी के बाद तो उसकी हालत बदतर हुई लेकिन माता-पिता के घर में भी तानो, उलाहनों और जली कटी बातें ही ज़्यादा सुनी कमल ने। पांचवी कक्षा के बाद यह कहकर उसकी पढ़ाई रूकवा दी कि 'बहुत पढ़ लिया, लड़की को इतना पढ़ना लिखना आना चाहिए कि वह अपने सुख-दुःख की खबर लिख कर भेज सके'। घर में मां थी जो कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। कभी कमल घर में हंसती खिलखिलाती तो कहती- 'ज़्यादा उछल रही है तो कोई खसम कर ले।' बड़ा भाई भी मां की तरह ही व्यवहार करता था। उनके लिए कमल ऐसा बोझ थी जिसे वे जल्दी से जल्दी उतारना चाहते थे। इसलिए पिता के ना चाहने के बावजूद मां ने उसकी एक ऐसे लड़के से शादी कर दी जो आवारा ही नहीं जेल काटकर भी आया था। शादी के समय मां ही घर छोड़कर चली गई।

बड़ी मुश्किल से उसे घर लाया गया। कमल घरवालों के व्यवहार से इतनी परेशान थी कि उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह कभी पीहर नहीं जाएगी। लेकिन कमल के ससुराल वाले और भी खराब निकले।

ससुराल में कमल दिनभर घर का काम करती और रात को पति शराब पीकर मारपीट करता। पति मारपीट भी करता और उसके चरित्र पर भी लांछन लगाता। कमल से कहता- 'तू बता तेरे कितने यार हैं, तू इतनी सुन्दर और मैं आवारा, शराबी और बदचलन फिर भी तेरे घरवालों ने मुझसे तेरी शादी क्यों कर दी?' सुसर कहता- 'तेरे बच्चे गोरे हैं, मेरा बेटा तो काला है ये इसकी औलाद नहीं हैं।' कमल को आवारा और बदचलन कहता। इन्ही सब स्थितियों के चलते उसके तीन बच्चे हो गए। कमल की सुनने वाला कोई नहीं था। मन चाहे जब कमल से लड़ झगड़कर पीहर भेज देते। पति बेरोजगार था और कभी कुछ कमाता भी तो शराब या सट्टे में खर्च कर देता। परेशान कमल ने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की।

कमल कुछ दिन पति के साथ कोटा में रही। वहां एक दिन पति छोड़कर चला गया। कुछ समय तक कमल के बड़े भाई ने मदद की। लेकिन बच्चों की ज़िम्मेवारी भी कमल को अकेले ही उठानी पड़ रही थी इसलिए तंग आकर कमल ने घरों में झाड़ू-पौंछा करना शुरू कर दिया। कमल को पता चला कि उसका पति सहारा इण्डिया में काम करने लगा है। पति कमल के साथ नहीं रहता था। लेकिन बीमारी की हालत में पति के घरवालों ने उसका ध्यान रहीं रखा तब वह कमल के पास आ गया। कमल ने ही उसका इलाज करवाया। 1998 में पति की मृत्यु हो गई। एक ऐसे पति के लिये जिसने कभी साथ नहीं दिया कमल को वह सब रिवाज़ निभाने पड़े जिनकी एक विधवा से अपेक्षा की जाती है।

सबने कमल का साथ छोड़ दिया पर कमल ने हिम्मत नहीं हारी। 1999 में वह एकल नारी शक्ति संगठन से जुड़ गई। पड़ौसी भी छींटाकशी करने से बाज़ नहीं आते। कमल को देखकर कहते कि 'विधवा होकर ऐसे बन संवरकर रहती है। क्या दूसरा यार कर लिया है?' कमल ने इन बातों की परवाह करना छोड़ दिया। वह सिलाई करती और अपने काम से काम रखती। उसके बेटे भी उसके काम में मदद करते।

लेकिन एक दिन यकायक कमल के एक बेटे ने आत्महत्या कर ली। कमल आज तक उसके बेटे की आत्महत्या का कारण नहीं जान पाई, इसकी पीड़ा आज भी उसे तड़पा जाती है। उसको लगता है काम में ज़्यादा जुटे रहने से वह उसकी परेशानी नहीं जान पाई। इस घटना के बाद वह अपने दोनों बेटों के पालन पोषण पर बहुत ध्यान देने लगी।

मुसीबत के समय को संगठन की मदद से ही काट पाई है और अब इतना हौंसला रखती है कि समाज के कोई रीति-रिवाज उसे मजबूर औरत नहीं बना सकते। बेटे की शादी में उसने खुद वह सब रस्में निभाई हैं जिनसे विधवा औरतों को दूर रखा जाता है।

कमल ने यह समझ लिया है कि समाज विधवा औरत को अकेली और कमजोर मानने पर विवश करता है इसलिए सबसे पहले इसी सोच को खत्म करना है। सोच समझ की यह ताकत कमल को संगठन से मिली है। अपनी ही तरह वह दूसरी बहनों की हिम्मत बढ़ाने का काम करती है।

चौदह साल के साथ में – ताने, उलाहनें और मारपीट

ललिता कुंवर चंद्रसिंह दसूंदी
जिला-पंचमहल
राज्य-गुजरात

जिला पंचमहल गुजरात की रहने वाली ललिता कुंवर की शादी 1994 में राजस्थान के डूंगरपुर जिले के गांव रामपुर प्रखण्ड सागवाड़ा में हुई थी। माता-पिता ने सामाजिक रीति-रिवाज से ललिता कुंवर की शादी की थी। शादी में ललिता कुंवर के पिता ने सभी सामान व सोने-चांदी के जेवर दिए थे।

ललिता कुंवर की शादी को छह महीने भी नहीं हुए थे कि ससुराल वाले उसे पैसों के लिए तंग करने लगे। सास, ससुर, पति, देवर, दो कुंवारी ननंदें सब मिलकर ललिता कुंवर को बुरा-भला कहते और मायके से रुपये लाने का दबाव डालते। वे यह बात कहकर ललिता कुंवर को पैसे लाने के लिए रात दिन परेशान करते थे कि उसके पति की नौकरी लगवाने के लिए पैसों की जरूरत है। ललिता कुंवर की ननंदें बोलती, ''तू काली है, मेरे भाई के साथ तू अच्छी नहीं लगती, किसी कुंए में जाकर गिर जा। तूने मेरे भाई की जिन्दगी बर्बाद कर दी। क्या तुझे दो लीटर केरोसिन तेल नहीं मिलता''। लगातार ऐसी अपमानजनक बातें सुनने के बाद भी ललिता कुंवर चुपचाप सहन करती रही। शादीशुदा जिन्दगी के चौदह साल ललिता कुंवर ने इसी उम्मीद में निकाल दिए कि कभी तो सुख के दिन आएंगे।

सुख के दिन तो नहीं आए मगर ससुराल वालों के जुल्म जरूर बढ़ते गए। सास-ससुर मारपीट करके घर से निकाल देते। पति भी उनके ही साथ था। ललिता कुंवर के मामा ससुर जिन्होंने ललिता कुंवर की शादी करवाई थी, वे ललिता कुंवर को मायके जाने के पैसे देते थे। किराये तक के पैसे ललिता कुंवर के पास नहीं होते थे। ललिता कुंवर की

शादीशुदा ननद व ननदोई भी उसके पति के कान भरते रहते थे। उनके उकसाने पर ललिता कुंवर का पति उसके साथ मारपीट करता था और हमेशा घर से निकल जाने के लिए कहता रहता था। ललिता का पति उससे छुटकारा चाहता था। वह ललिता से कहता ''तूने मेरी जिन्दगी बिगाड़ दी, तू मर जा जिससे मुझे छुटकारा मिल जाए। तेरा यहां कुछ भी नहीं है। जायदाद में से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, रोटी भी नहीं मिलेगी''। अक्सर वह ललिता को जान से मारने की धमकी देता।

ललिता का देवर भी उसे धमकियां देता। ललिता से कहता ''मेरा भाई तुझे रखना नहीं चाहता तो तू यहां क्यों पड़ी है। अगर तेरे मायके में कोई नही है तो मैं तुझे जहर ला देता हूं। तुझे तेरी जिदंगी प्यारी है तो जैसे बने वैसे अपना पोटला बिस्तरा लेकर चली जा। अगर तू अपने आप नहीं गई तो हमें पांच लीटर केरोसिन तेल लाना पडेगा।''

चौदह साल तक लगातर दुख और अपमान सहन करने के बाद ललिता कुंवर ने कोर्ट का सहारा लिया। ललिता ने कोर्ट में गुजारा भत्ता पाने के लिए केस कर रखा है। उसके पास कोई काम धन्धा नहीं है जिससे वह अपना पेट भर सके। ललिता के पिता ही उसका खर्चा उठा रहे है। दो-ढाई साल पहले ललिता एकल नारी शक्ति संगठन के सम्पर्क में आयी। उसने अपने जैसी बहुत सी बहनों को संगठन में देखा जिन्होंने अपनी जिन्दगी की लड़ाई को संगठन की मदद से खुद लड़ना सीखा है। ललिता का मामला भी संगठन के पास आया था। संगठन की समस्यों की मदद से ही वह कोर्ट में अपने हक के लिए लड़ रही है। गुजारा भत्ता के लिए उसका केस संतरामपुरी नामदार कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने उसे 550 रुपये गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया है। ये पैसे अभी तक ललिता कुंवर को मिले नहीं है। 550 रुपये का गुजारा भत्ता ललिता कुंवर को मंजूर नहीं है। अब वह संगठन की मदद से घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल करेगी।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग कामयाब

चमनी देवी
गांव-जरूआडीह, प्रखण्ड-विष्णुगढ़
जिला-हजारी बाग, राज्य-झारखण्ड

चमनी देवी एक गरीब विधवा महिला है, जिसके पास रहने को घर भी नहीं है। ग्राम सभा में चमनी देवी का नाम इन्दिरा आवास की प्रतीक्षा सूची में वित्तीय वर्ष 2006-2007 में डाला गया था। सन् 2006-2007 के अन्त में चमनी देवी को इन्दिरा आवास आवंटित हुआ। इन्दिरा आवास के लिए चमनी देवी को कुल पच्चीस हजार रुपये चार बराबर किश्तों में चैक के जरिये दिए जाने थे। प्रत्येक किश्त में 6250 रुपये का भुगतान चमनी देवी को होना था। दो किश्तों का पैसा चमनी देवी को बैंक से मिल गया।

तीसरी किश्त के भुगतान के समय चमनी देवी बीमार पड़ गई। बीमार होने के कारण वह तीसरी किश्त का चैक लेने प्रखण्ड कार्यालय विष्णुगढ़ नहीं जा सकी। तबियत में थोड़ा सुधार होने पर जब वह चैक लेने प्रखण्ड कार्यालय गई तो प्रखण्ड विकास अधिकारी तथा पंचायत सेवक ने उससे कहा कि चैक तो दिया जा चुका है। तुम्हारी तीसरी किश्त का भुगतान हो गया है। चमनी देवी ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की और बताया कि वह बीमार थी इसलिए चैक लेने नहीं आयी। उसे पैसा नहीं मिला है। अधिकारियों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया साथ ही धमकी दी कि अगर तुमने इन्दिरा आवास के तहत निर्माण कार्य नहीं करवाया तो जेल जाना पडेगा। गरीब चमनी देवी प्रखण्ड अधिकारियों की

इस धमकी को सुनकर डर गई और अपने गांव वापस चली गई।

चमनी देवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या से कैसे निपटें। अधिकारियों की बात सुनकर वह डर गई थी। संयोग से उसकी मुलाकात पास के गांव धर्मपुर की कबूतरी देवी से हुई। कबूतरी देवी एकल नारी सशक्ति संगठन की राज्य स्तरीय सदस्य है। कबूतरी देवी ने चमनी देवी की पूरी कहानी सुनी और उसे संगठन की मासिक बैठक में भी साथ लेकर गई। चमनी देवी ने अपनी आप-बीती कमिटी में रखी। एकल नारी सशक्ति संगठन की प्रखण्ड कमिटी ने चमनी देवी को संगठन का सदस्य बनाया तथा उसके केस की जांच करने के लिए जांच कमिटी को प्रखण्ड कार्यालय विष्णुगढ़ भेजा। (एकल नारी सशक्ति संगठन की जांच कमिटी पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलवाने में मदद करती है। जरूरत पड़ने पर उच्च स्तर पर कानूनी सलाह की पहल भी करती है।)

जांच कमिटी चमनी देवी के केस के संबंध में पंचायत सेवक, पंचायत पर्यवेक्षक तथा प्रखण्ड विकास अधिकारी से मिली। सभी ने कहा कि चैक का भुगतान कर दिया गया है। चैक निकासी से संबंधित कागज भी अधिकारियों ने जांच कमिटी को दिखाए। उन्होंने जांच कमिटी को कहा कि यह महिला झूठ बोल रही है, इन्होंने बैंक से पैसा लेकर अपनी बेटी को दिया है और अब कह रही है कि चैक नहीं मिला।

जांच कमिटी ने चमनी देवी को कहा कि वह उस डॉक्टर से अपनी बीमारी की रिपोर्ट लेकर आए जिसने इलाज किया है। चमनी देवी का इलाज जिस प्राइवेट डॉक्टर ने किया था, उसकी अचानक हुई मृत्यु ने चमनी देवी की स्थिति और खराब कर दी। यह बात उसने संगठन की बैठक में बताई। संगठन के सदस्यों को इस मामले को हल करने का कोई ठोस तरीका नहीं सूझ रहा था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कमिटी सदस्यों ने प्रखण्ड कार्यालय विष्णुगढ़ को आवेदन देकर इस केस की जांच करवाने की मांग की।

आवेदन देने के दो माह बाद संगठन ने प्रखण्ड कार्यालय से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जांच आवेदन के संबंध में कई सूचनाएं मांगी। जिनमें जांच सम्बन्धित प्रगति रिपोर्ट तथा बैंक द्वारा दिये गए चैक की छायाप्रति की मांग की गई। संगठन के सूचना संबंधी आवेदन पर प्रखण्ड कार्यालय विष्णुगढ़ ने कोई पहल नहीं की। केस की जांच करने की जगह उन्होंने गांव के एक व्यक्ति मोहम्मद अख्तर अंसारी के जरिये चमनी देवी को वृद्धावस्था पेंशन दिलवाने का लालच देकर एक आवेदन तैयार करवा लिया जिस पर चमनी देवी, कबूतरी देवी और मुदेरी देवी के अंगूठे के निशान लगवा लिए। आवेदन में चालाकी से उन्होंने यह भी लिखवा लिया कि वह सूचना के अधिकार के तहत किये गए जांच आवेदन को वापस लेती है।

चमनी देवी खुद तो पढ़ी लिखी नहीं थी उन्हें यह चालाकी भी समझ में नहीं आयी कि यह सब उनके केस को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। संगठन के सदस्यों ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत जांच आवेदन एकल नारी सशक्ति संगठन की ओर से दिया गया है यह वापस नहीं लिया जा सकता। संगठन ने सूचना उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी सह अनुमण्डल पदाधिकारी सदर हजारी बाग के यहां अपील की।

10 फरवरी 2009 को संगठन के साथ जुड़ी डॉ. बिन्नी और डॉ. विश्वनाथ आजाद संगठन के सदस्यों के साथ केस की जांच करने गए। विकास अधिकारी ने प्रखण्ड कार्यालय में जमा तीनों चेकों को दिखाने के निर्देश दिए। संगठन के सदस्यों ने पाया कि चमनी देवी के अंगूठे का निशान दो ही चैकों पर एक जैसा था। तीसरे चैक पर अंगूठे का निशान चमनी देवी के निशान से भिन्न था। एक बार फिर पुनः जांच करने के लिए समय लिया गया।

12 फरवरी 2009 को चमनी देवी के गांव जेरूआडीह में पंचायत सेवक, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक, मोहम्मद अख्तर अंसारी तथा संगठन के प्रतिनिधियों सहित गांव के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में प्रखण्ड कार्यालय में जमा तीनों चैकों पर लगे अंगूठे के निशान मिलाए गए। चमनी देवी के अंगूठे का निशान दो पर ही सही पाया गया।

ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए 15 दिन का समय लिया पर दो दिन बाद ही पंचायत पर्यवेक्षक संगठन के कार्यालय, हजारी बाग आए और पंचायत सेवक से पैसा वापस करने की बात कही। संगठन ने उन्हें सभी के सामने पैसे वापस करने की शर्त रखी।

9 मार्च 2009 को पंचायत पर्यवेक्षक, प्रखण्ड के क्लर्क व वर्तमान प्रखण्ड विकास अधिकारी संगठन के कार्यालय आए। प्रखण्ड विकास अधिकारी विष्णुगढ़ ने पंचायत सेवक, पंचायत पर्यवेक्षक तथा प्रखण्ड क्लर्क से संगठन सदस्यों तथा चमनी देवी से माफी मंगवाई साथ ही तीसरी किश्त की राशि 6250 रुपये चमनी देवी को दिए। इस केस के दौरान पुराने प्रखण्ड विकास अधिकारी बदल गए थे। नये प्रखण्ड विकास अधिकारी ने विश्वास दिलाया कि संगठन के सदस्यों को प्रखण्ड में सरकारी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश करेंगे। संगठन के सदस्यों से उन्होंने केस वापस लेने का आग्रह भी किया। चमनी देवी तीसरी किश्त पाकर खुश थी। संगठन के सदस्यों ने उन्हें कहा कि आप अपना निर्माण कार्य जारी रखो तभी इन्दिरा आवास के लिए चौथी किश्त मिलेगी।

चमनी देवी के केस में हुआ भ्रष्टाचार उजागर नहीं होता, यदि संगठन लगातार कोशिश नहीं करता। उस इलाके के लोगों के लिए यह बहुत बड़ी घटना थी। इस केस के बाद संगठन की शक्ति भी बढ़ी है। संगठन में लोगों का विश्वास बढ़ा है। संगठन के सदस्यों को इस बात की खुशी है कि वे एक गरीब महिला को उसका हक दिलवाने में कामयाब हुए हैं।

हिम्मत नहीं तोड़ पाया बलात्कारी

कौशल्या देवी
गांव-गंगरायडीह,
जिला-गिरिडीह, राज्य-झारखण्ड

कौशल्या को आज भी विश्वास है कि जीत सच्चाई की ही होगी। बेशक परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं हैं पर हिम्मत नहीं खोई है कौशल्या ने। इस हिम्मत को बनाए रखने में मदद की है संगठन ने। वह डटकर मुकाबला कर रही है उन लोगों का जिन्होंने उसे शोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले चार साल से उसका कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब वह तसल्ली से बैठी हो। सन् 2006 में कौशल्या के पति की मृत्यु टी. बी. से हो गई। ससुराल में तीन चार भाइयों का बड़ा परिवार होने के बावजूद कौशल्या को कोई सहारा नहीं मिला। गांव के ही एक व्यक्ति महावीर राणा के घर मजदूरी करके अपना व दो छोटे बच्चों का पालन पोषण करने लगी।

पति के हिस्से की जमीन पर देवर जगदीश राणा घात लगाए बैठा था। वह कौशल्या को जमीन से बेदखल करना चाहता था। उसने जमीन पर लगा शीशम का पेड़ कटवा दिया। और वहां रतनजोत लगवा दिया। कौशल्या ने विरोध किया तो घर से निकालने की धमकी के साथ भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। कौशल्या ने पंचायत बुलाने की बात कही। पंचायत में आए लोगों को उसने ज़मीन के कागजात दिखाए। यह सब देखकर जगदीश राणा व उसकी पत्नी ने फिर से गालियां देना शुरू कर

दिया। पंचायत वाले बिना कोई फैसला किए ही वापस चले गए। जगदीश राणा व उसके बेटों के सामने कोई बोल ही नहीं पाया।

इस घटना के चार-पांच दिन बाद एक रात जब वह अपने छोटे बेटे के साथ खाना खा रही थी, किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। उस रात तेज बारिश हो रही थी। बादल भी गरज रहे थे। देर रात तक सभी गांव वाले विश्वकर्मा की प्रतिमा विसर्जन में व्यस्त थे। दरवाजे को कोई ज़ोर से धक्का दे रहा था। उसने ध्यान से सुना तो उसके देवर जगदीश राणा का बेटा सरयू राणा उससे दरवाज़ा खोलने को कह रहा था। मन ही मन डर गई कौशल्या। उसने दरवाजा खोलने के लिए मना कर दिया। लेकिन वह लगातार दरवाज़ा पीट रहा था। दरवाजा टूटने के डर से कौशल्या ने दरवाजा खोल दिया। सरयू राणा नशे में धुत उसकी तरफ बढ़ रहा था और गंदी गंदी गालियां निकाल रहा था। आते ही कौशल्या के साथ मारपीट करने लगा। उसके बेटे को भी पटक दिया। सरयू राणा ने कौशल्या से अंदर के कमरे को खोलने को कहा। वह घसीटता हुआ कौशल्या को अन्दर कमरे में ले गया, उसके कपड़े फाड़ दिए। कौशल्या को नीचे पटक दिया। उसके शरीर को जगह-जगह दांत से काट लिया। लगातार मारपीट करते हुए उसने कौशल्या के साथ बलात्कार किया। इसके बाद उसने कौशल्या के बेटे को मारना शुरू कर दिया।

कौशल्या ने किसी तरह बेटे को छुड़ाया। नशे में धुत सरयू राणा वहीं बेसुध होकर गिर गया। डर और घबराहट में वह मदद के लिए जगदीश राणा के घर पहुंची। वहां सरयू का छोटा भाई लालटेन लेकर बैठा था। साथ ही भाभी भी खड़ी थी। कौशल्या को देखकर वह चिल्लाकर पूछने लगी कि 'क्या हुआ?' कौशल्या को चेहरा मार से सूज गया था। उसने कहा कि सरयू उसके बेटे को मार देगा, उसे बचा लो। सरयू का छोटा भाई कौशल्या के बेटे को छुड़ाकर ले आया। जगदीश

राणा बेटे की इस करतूत से खुद को फांसी लगाने की कोशिश करने लगा। यह देखकर जगदीश राणा की पत्नी ने कौशल्या पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। कौशल्या की मदद करने के बजाय वह उसे ही दोषी ठहराते हुए बोली कि-'यह बाप बेटे की जान की दुश्मन बनी हुई है। इनको मरवाकर ही छोड़ेगी।'

इसी दौरान सरयू राणा को उसके भाई घर लेकर आए। सरयू राणा की पत्नी व भाभी ने उससे पूछने की कोशिश की, तो सरयू राणा ने उनसे भी मारपीट की। सरयू राणा को सभी लोगों ने मिलकर एक कमरे में बन्द कर दिया।

कौशल्या सुबह 4 बजे जब अपने बेटे को लेकर घर जाने लगी तो सरयू के घर की औरतों ने उससे कहा कि तुम्हे यहां नही पाकर वह हम लोगों के साथ मारपीट करेगा। कौशल्या ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और महावीर राणा के घर चली गई जिनके यहां वो गाय भैसों का गोबर उठाने व साफ सफाई का काम करती थी। महावीर राणा की बहु को उसने पूरी घटना सुनाई। उन्होने कौशल्या से कहा कि तुरन्त थाने में रिपोर्ट लिखवाओ। कौशल्या इतनी हाल बेहाल हो चुकी थी उस समय उसकी पैदल चलकर थाने जाने की हिम्मत भी नहीं थी। थाना भी दूर था। कौशल्या ने महावीर राणा से कहा कि वह गाडी का इन्तजाम कर दे। पैसे वह बाद में दे देगी। गांव के दो एक और लोगों से इस घटना के बारे में बात हुई। कौशल्या ने सारी घटना की जानकारी एकल नारी शक्ति संगठन की सदस्यों को दी। संगठन की जांच कमेटी जिसमें संगठन की चार महिलाए थीं, उन्होने गांव वालों से बात की। जांच कमेटी ने जब सरयू राणा से पूछताछ की तो उसने ऐसी किसी भी घटना से साफ इंकार कर दिया। जांच कमेटी की सदस्यों ने उससे थाने जाने की बात कही तब सरयू राणा के पिता ने कहा कि उनके बेटे को जो भी सज़ा संगठन व गांव वाले देंगे, वह मंजूर है लेकिन थाने न जायें। 'जो

कुछ करना है यहीं कर लीजिए। चाहे उसे झाडू से पीटो या कुछ भी करो। लड़के ने गलती की है उसका जुर्माना वह भरने को तैयार है।'

संगठन की महिलाओं ने अपना इरादा नहीं बदला और थाने जाने की तैयारी कर ली। संगठन की महिलाएं व कौशल्या ट्रेक्टर में बैठकर थाने जाने लगे तो रास्ते में सरयू राणा ने उनकी गाडी रोक ली और बोला कि गाडी नहीं जाएगी। वह हरिया डीह के बनदौत (राजपूत जाति) लोगों के साथ आया था लेकिन बनदौत लोगों ने जब खुद कौशल्या की बुरी हालत देखी तो बोले कि इसको जाने दो। सरयू राणा ने एक बार फिर कोशिश की लेकिन कौशल्या ने कहा कि-'गाडी का पैसा हमने दिया है, तुम रोकने वाले कौन होते हो।' इसके बाद कौशल्या ने देवरी थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। संगठन की महिलाएं उसके साथ थीं। थाने से ही कौशल्या को इलाज के लिए सदर अस्पताल, गिरिडीह भेजा गया। सात दिन उसका इलाज चला। इस बीच सरयू राणा ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। तीन महीने बाद ही उसकी जमानत हो गई।

कौशल्या कहती है-'जगदीश राणा दबंग व्यक्ति है। उसके छह बेटे हैं इसलिए गांव के लोग उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहते।' जुलाई 2008 से उसने कौशल्या पर डकैती का झूठा केस दर्ज करवा रखा है। कौशल्या की पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। कौशल्या की जमीन पर वह अपना घर बनवा रहे हैं। कौशल्या अपने पुराने घर में ही रह रही है। गांव में कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। इन हालात में कौशल्या को कानूनी मदद की बहुत जरुरत है। एकल नारी शक्ति संगठन ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी आवेदन किया है ताकि कौशल्या को कोई वकील मिल सके जो उसके मुकदमों की पैरवी सही ढंग से कर सके। कौशल्या के लिए हर दिन एक चुनौती है। इस चुनौती का सामना वह बहुत धैर्य और साहस से कर रही है।

नाम के पति का क्या करुं

सुनीता देवी
गांव-दुगाना, प्रखण्ड-पोंटा साहिब
जिला-सिरमौर, राज्य-हिमाचल प्रदेश

32 वर्षीय सुनीता का बचपन ननिहाल में बीता। माता-पिता का प्यार व दुलार उसे नहीं मिला। वह सिर्फ छह महीने की थी जब वे दोनों अलग-अलग रहने लगे थे। अलग होने के बाद सुनीता की मां अपने मायके में आ गई थी और सुनीता के पिता ने दूसरी शादी कर ली। कुछ समय बाद सुनीता की मां ने भी दूसरी शादी कर ली। सुनीता को नाना-नानी के साथ रहना पड़ा जहां वह अपने माता-पिता को याद करके खूब रोती थी।

नाना-नानी के पास रहते हुए सुनीता ने 5 वीं कक्षा तक पढ़ाई की। पढ़ने के लिए वह दुगाना पंचायत समिति के गांव कफोटा में जाती थी। पांचवी कक्षा के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। थोड़े दिन बाद उसने कफोटा में चल रहे सिलाई बुनाई सेन्टर में जाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात सुशील नाम के युवक से हुई जो कफोटा में अपने मामा के घर आया हुआ था। सुनीता और सुशील एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और शादी करना चाहते थे।

1995 में जब सुनीता 17 साल की थी तो उसका विवाह सुशील के साथ हो गया। सुनीता सुशील के साथ शामली गांव में रहने लगी। अपनी पंसद के व्यक्ति से विवाह होने के बाद सुनीता काफ़ी खुश थी। सुनीता की यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। जैसे-जैसे परिवार की

जिम्मेदारियां बढ़ती गई सुनीता को महसूस हुआ कि उसका पति इन ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा है। सुनीता के पति का कामकाज में मन नहीं लगता था। किसी तरह सुनीता ही मेहनत करके घर का खर्चा चला रही थी। पति दिनभर दोस्तों के साथ घूमता रहता था। सुनीता उसको कुछ कह भी नहीं पाती थी।

इस बीच सुनीता के तीन बच्चे हो गए। उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी सुनीता पर ही थी। पति को सुनीता व बच्चों की कोई चिन्ता नहीं थी। सुनीता शामली छोड़कर कफोटा आ गई और वहीं कमरा किराये पर लेकर पति व बच्चों के साथ रहने लगी। कफोटा में उसने गलीचा बुनाई के सेन्टर में काम करना शुरू कर दिया। यहां भी सुनीता के पति का वहीं रवैया रहा। दिनभर दोस्तों के साथ घूमना और सिर्फ खाना खाने के लिए घर आना। सुनीता सब कुछ देखती और चुप रह जाती। उसे लगता कि सहन करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है।

एक दिन सुशील ने सुनीता से कहा कि वह दुकान खोलना चाहता है। सुनीता को यह विचार तो अच्छा लगा लेकिन मुख्य समस्या पैसों की थी। दुकान करने के लिए पैसे का इंतजाम कहां से होगा। सुशील ने उसे सुझाव दिया कि गांव में चल रहे 'स्वयं सहायता समूह' की सदस्य बन जाए। श्रद्धा नामक इस स्वयं सहायता समूह की सदस्यता सुनीता ने ले ली। समूह से उसने 10 हजार रुपये का कर्ज लिया। इस पैसे से सुशील ने एक छोटी सी बेकरी की दुकान खोल ली। महीना भर भी दुकान नहीं चल पाई क्योंकि सुशील कभी दुकान पर बैठता ही नहीं था। दोस्तों के साथ घूमने फिरने के साथ ही साथ वह नशा भी करने लगा था। समूह ने कर्ज सुनीता को दिया था इसलिए उसकी किश्त भरने की जिम्मेदारी भी सुनीता पर ही थी। सुशील को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि

सुनीता इस कर्ज को कैसे चुकाएगी। जब कभी सुनीता उससे काम करने को कहती सुशील उसे ही भला बुरा कहने लग जाता। सुनीता पर तरह-तरह के लांछन लगाता। परेशान होकर सुनीता चुप हो जाती।

सुनीता सुशील के इस गैर जिम्मेदार व्यवहार से तो परेशान चल ही रही थी इसी बीच एक ऐसी घटना हो गई जिसने सुनीता के मनोबल को पूरा तोड़ दिया। सुनीता अपनी मौसी को सिलाई सीखाने के लिए अपने घर ले आई। सुनीता ने सोचा कि अनपढ़ मौसी काम सीख लेगी तो अच्छा रहेगा। गांव में तो वह खेती बाड़ी का ही काम करती थी। मौसी सुनीता के पास रहने लगी। सुनीता के घर रहते हुए मौसी व उसके पति के बीच घनिष्ठ संबंध बन गए। सुनीता अपने काम में व्यस्त रहती थी और वह यह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मौसी व उसके पति के बीच संबंध होंगे। कुछ समय तक यह चलता रहा, जब सुनीता को इस बात का शक हुआ तो उसने इस बारे में सुशील से बात करने की कोशिश की। उसने सुनीता पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। सुशील सुनीता से कहता कि, ''वह खुद एक घटिया औरत है इसलिए दूसरों पर शक करती है।'' स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए कई तरह के तर्क देकर सुनीता को चुप करवा देता।

आखिरकार एक दिन सुशील और उसकी मौसी सुनीता को धोखा देकर भाग गए और उन्होंने कुछ दिन बाद पानीपत जाकर शादी कर ली। सुनीता ने जब यह खबर सुनी तो वह अपने आपे में नहीं रह सकी। उसकी हालत पागल जैसी हो गई। पति की इस हरकत से वह दुःखी हुई लेकिन अपने तीन बच्चों को वह कैसे भूल सकती थी।

कफोटा में हुई एकल नारी शक्ति संगठन हिमाचल प्रदेश की बैठक में एक सदस्य ने सुनीता की कहानी सुनाई। संगठन की सदस्यों ने तय किया कि वे सुनीता से मिलेंगे और यदि वो चाहेगी तो संगठन के

साथ जोड़ सकती है। उन्होंने सुनीता को हर स्थिति में मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि, "अब तुम अकेली नहीं हो, संगठन तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति सुधर सकता है तो हम सब मिलकर इस गैर कानूनी विवाह का विरोध करेंगे।" संगठन के सदस्यों के अपनेपन ने सुनीता की हिम्मत बढ़ा दी। अब वह सोच समझकर फैसला ले सकती थी। सुनीता ने तय किया कि वह अपने पति से कोई संबंध नहीं रखेगी। वह अपने बलबूते पर पहले भी अपना गुजारा चला रही थी। उसे नाममात्र के पति की कोई जरूरत नहीं है।

सुनीता अब भी अपना खर्च मुश्किल से चला रही है। गलीचा बुनकर जितनी कमाई होती है उसी से अपना व बच्चों का पेट भर रही है। और कोई आय का साधन नहीं है। एकल नारी शक्ति संगठन, हिमाचल प्रदेश से जुड़कर उसे बहुत सी जानकारियां मिली हैं। मन में भी हिम्मत आई है। ग्राम पंचायत में उसने इंदिरा आवास योजना के लिए आवेदन किया है। पहले पंचायत में उसका नाम बीपीएल सूची में नहीं डाल रहे थे पर उसने खुद पंचायत में जाकर कहा कि, ''आप लिखकर दो कि मैं गरीब नहीं हूं''। पंचायत के सचिव ने दो-तीन माह बाद सुनीता को बताया कि उसका नाम आई. आर. डी. पी. की सूची में आ गया है।

सुनीता को इन्दिरा आवास योजना के तहत मकान बनाने का पैसा स्वीकृत हो गया है लेकिन सुनीता के पास जमीन नहीं है। इसके लिए उसने बैंक से कर्ज लेकर दो बिस्वा जमीन खरीदी है। उसकी रजिस्ट्री भी करवाई है। समाज व परिवार से तो सुनीता को इन्साफ नहीं मिला लेकिन संगठन के साथ से वह हर मुश्किल का सामना करने का हौंसला रखती है।

डायन करार देकर, इंसानीयत भूले

चांदो होनहांगा
गांव-टूबला बेड़ा, पंचायत-बोमारो
प्रखण्ड-डुमरिया,
जिला-पूर्वी सिंहभूम, राज्य-झारखण्ड

45 वर्षीय चांदो आज घर होते हुए भी बेघर है। चांदों की मुसीबतें 15 वर्ष पूर्व पति वीरसिंह की मृत्यु के साथ ही शुरू हो गयी थीं। दो बच्चों-एक बेटा और एक बेटी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी चांदों पर ही थी। चांदों के पति का संयुक्त परिवार था। उसके जेठ धनबाद में सरकारी डॉक्टर थे और वहीं रहते थे, लेकिन उनके बीबी-बच्चे गांव में ही रहते थे। परिवार के पास कुल 20 बीघा कृषि भूमि थी, उसी पर मेहनत मजदूरी कर चांदो अपना व अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। उनका जेठ सेवानिवृति के बाद गांव में ही रहने लगा। गांव में आने के बाद उसने चांदो व उसके बच्चों को संयुक्त परिवार के घर में रहने नहीं दिया। चांदो के रहने के लिये पहाड़ी से सटी एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और उसके निर्वाह के लिये 20 बीघा में से केवल 1 बीघा जमीन ही दी। चांदो अकेले इस अन्याय का मुकाबला करने में असमर्थ थी इसलिये जैसे-तैसे चुपचाप गुजारा करती रही। कुछ समय बाद चांदों ने अपने बेटे जितेन्द्र की शादी भी करवा दी। बेटे की शादी से चांदो खुश थी और जीवन की गाड़ी ठीक ही चल रही थी। पर चांदो के लिये जल्द ही जिन्दगी फिर कठिन हो गई।

चांदो के जेठ ने उसके बेटे को बहला-फुसला कर चांदों के खिलाफ कर दिया। दो साल पहले बेजे जितेन्द्र ने चांदो और उसकी बेटी को अलग कर दिया। जो 1 बीघा जमीन चांदो के पास थी, उसे भी

बेटे ने छीन लिया। बात यहीं नहीं रूकी चांदो के ससुराल वालों व उसके बेटे ने चांदो के डायन होने की बात सारे गांव में फैला दी। सगे-संबंधियों, रिश्तेदारों सभी को चांदो के डायन0 होने का विश्वास दिला दिया। इस कारण सभी ने चांदो से संबंध तोड़ लिये और वह अकेली गांव के एक घर में रहने लगी। चांदो के अकेलेपन व बेबसी का फायदा उठाने की नीयत से गांव के पुरुष रात-बेरात चांदो के घर पर हमला करते। इस सब से परेशान होकर चांदो, ससुराल का गांव छोड़ अपने मायके रगांमाटिया, पंचायत बोमारो में रहने लगी।

वह अपने मां-बाप के साथ रहने लगी और पिता के साथ खेती करने लगी। चांदो का कोई भाई नहीं है, उसके पिता ने लिखित तौर पर 10 बीघा भूमि चांदो को आजीवन खेती करने के लिये दे दी। यह खबर मिलने पर चांदो की दो बहनों के पति उसे प्रताड़ित करने लगे। उन्होंने गांव में पंचायत बैठाई और झूठे आरोपों पर दण्डित करने के लिए जुर्माना भरने को कहा। चांदो ने जुर्माना भरने से मना कर दिया। ससुराल व अपने बेटे द्वारा निकाली जा चुकी चांदों के मायके में भी जगह नहीं मिली। पंचायत के फैसले से मजबूर होकर चांदो को मायका छोड़ना पड़ा।

चांदो को एकल नारी सशक्ति संगठन, झारखंड के बारे में पता लगा तो उसने राज्य स्तरीय कमेटी सदस्य पार्वती गोप से सम्पर्क किया। शुरूआती सम्पर्क के बाद चांदो ने जून, 2007 की प्रखण्ड स्तरीय बैठक में भाग लिया और अपनी कहानी सबको बतायी। सारी बात सुनने के बाद जांच कमेटी ने निर्णय लिया कि चांदो के बेटे व जेठ से सम्पर्क करना होगा। सितम्बर, 07 में जांच कमेटी के सदस्य छुनला नेड़ा गये तो चांदो की बहू और जेठानी मायके गयी हुई थी, जेठ कमेटी के पहुंचने के बाद घर से चला गया। चांदो के बेटे जीतेन्द्र से बातचीत हुई उसने मां और

बहन को साथ रखने से साफ मना कर दिया और न ही उनका भरण-पोषण देने को तैयार हुआ।

इस घटना के बाद संगठन ने माझी परगना महाल (आदिवासी समाज की न्याय पंचायत व्यवस्था) के सचिव कैलाश चन्द्र हेम्ब्रम को इसकी सूचना दी। माझी परगना महाल, गांव के लोगों व एकल नारी सशक्ति संगठन के साथ टुबला खेड़ा में एक बैठक हुई। बैठक में गांव वालों और चांदो के परिवार ने उस पर डायन होने का आरोप लगाया। बैठक में निर्णय हुआ कि चांदो को पहाड़ी से सटी छोटी झोपड़ी में रहने दिया जाये। कुछ समय सब ठीक रहा लेकिन फरवरी, 08 में चांदो को फिर डायन कहकर घर से निकाल दिया। संगठन द्वारा इस मामले की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवाई गई। थाने ने चांदो के बेटे और जेठ के नाम नोटिस भेजा। संगठन, टुबला बेड़ा के लागों, चांदो के जेठ और बेटे के बीच माझी परगना सचिव की उपस्थिति में थाने में बैठक हुई। सभी ने चांदो पर डायन होने का आरोप लगाया, संगठन ने इसका विरोध किया। चांदो बैठक में नहीं पहुंच सकी और उसकी अनुपस्थिति के कारण कोई फैसला नहीं हो पाया। चांदो को गांव से निकाल दिया गया।

वर्तमान में वह दामुडीह पंचायत के गांव धोलाबेड़ा में रह रही है। वह एक रिश्तेदार के घर में रहती है और मजदूरी करती है। मजदूरी से जो भी आमदनी होती वह उसे अपने रिश्तेदार को देनी पड़ती है। चांदो को सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की है कि उसके बेटे ने ही उसका साथ नहीं दिया। बेटे के दुर्व्यवहार के बावजूद चांदो कोर्ट में केस इसलिए नहीं करना चाहती कि उसके बेटे को सजा हो सकती है।

उजाला फैलाने की ठानी है!

रेणुका सी. कुजडिया
जिला-सूरत, राज्य-गुजरात

पढ़-लिखकर शिक्षिका या नर्स बनने की चाह रखने वाली रेणुका की शादी माता-पिता ने 16 वर्ष की उम्र में ही कर दी। उस समय वह बारहवीं कक्षा की छात्रा थी। उसका ससुराल गांव में था। वहां उसका मन नहीं लगता था। थोड़े दिन बाद वह अपने पति के साथ सूरत रहने आ गयी। सूरत में रहकर उसने बी. ए. तक पढ़ाई की। ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि वह आगे पढ़ाई करे, मगर पति की मदद से उसमें कोई रूकावट नहीं आ पाई। रेणुका ने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। रेणुका की जिन्दगी हंसी खुशी चल रही थी। इस दौरान उसके दो बच्चे हुए।

शादी के करीब 12 साल बाद रेणुका के पति को एक बार चमड़ी का इन्फेक्शन हुआ। एक हते तक दवा ली मगर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों के कहने पर रेणुका के पति का एच. आई. वी. टेस्ट करवाया गया। रिपोर्ट में एच. आई. वी पॉज़िटिव आया। यह बात रेणुका को मालूम नहीं थी। पति ने रेणुका को नहीं बताया था लेकिन वह खुद काफ़ी चिन्ता में रहने लगा था। एक दिन पति की रिपोर्ट वाली फाइल उसने खुद देखी तब उसे पता चला कि उसका पति एच. आई. वी. पॉज़िटिव है। रेणुका के पति के मित्रों से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उसके पति ने बताने के लिए मना किया था।

रेणुका इस खबर से बहुत दुखी व परेशान थी। उसने अपने पति को बहुत समझाया कि वह सरकारी अस्पताल में दिखाकर अपना इलाज करवाए। पति को समाज में होने वाली बदनामी की बहुत चिन्ता थी। वह नहीं चाहता था कि घर या समाज में किसी को यह बात मालूम पड़े। दिनों दिन रेणुका के पति की तबियत खराब होती गई।

एक दिन रेणुका ने इस बारे में अपने देवर को बताया। उसने मदद करने की जगह साफ कह दिया कि "घर मत आना। इलाज करवाना है तो वहीं रहकर करवाओ।" देवर के इस जवाब को सुनकर रेणुका के पति को बहुत धक्का लगा। वह ज़्यादा परेशान रहने लगा। वह बार-बार कहता रहता था कि उसे गांव जाना है। अब वह ज्यादा दिन ज़िन्दा नहीं रहेगा।

परेशान रेणुका ने अपनी ननद को फोन किया। ननद रेणुका के पति को अपने घर ले आई। रेणुका पति को ननद के घर छोड़कर वापस सूरत चली गई क्योंकि उसकी छुट्टी नहीं थी। उसने कहा कि वह दीवाली की एक हते की छुट्टी में दोनों बच्चों को लेकर आएगी। इसी बीच देवर को मालूम पड़ा कि भाई ननद के घर पर है तो बदनामी के डर से वह उसे गांव ले आया।

रेणुका देवर को रोज फोन करती। देवर उसे कहता कि उसके पति की तबियत अच्छी है। लेकिन एक दिन रात को रेणुका के पास देवर का फोन आया कि तुरन्त बच्चों को लेकर गांव आ जाओ। रेणुका गांव पहुंची और पति को देखा तो खुद को संभाल नहीं पाई। पति की हालत काफी खराब थी। पति को देखकर वह रोने लगी तो सास बोली कि 'अब रोने से क्या फायदा'। रेणुका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था।

रेणुका को पति के पास ही रखा गया और बच्चों को उससे मिलने नहीं दिया गया। उसके खाने और पानी के बर्तन भी अलग कर दिए गए।

रेणुका के पति की हालत गंभीर थी। वह किसी को पहचान नहीं पा रहा था ना ही बोल पा रहा था।

रेणुका ने दूसरे दिन उसे गरम पानी से नहलाया। पति ने आंखे खोली और बच्चों से भी बात की। रेणुका को लगा कि यदि अस्पताल में इलाज करवाएं तो उसके पति की हालत ठीक हो सकती है। यह बात उसने देवर से कही तो उसने कहा कि "इस पर पैसा खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है।"

तीन दिन बाद रेणुका के पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद रेणुका की हालत भी बिगड़ गई। वह तीन दिनों तक बेहोश रही। रेणुका के माता-पिता ने उसे अहमदाबाद के अस्पताल में दाखिल करवा दिया। देवर ने समाज में बदनामी की दुहाई देकर रेणुका के माता-पिता को रोकना चाहा मगर रेणुका की बहन ने कहा कि यहां पर बिना इलाज के यह मर जाएगी। हम तो इसे अस्पताल लेकर जाएंगे

रेणुका अस्पताल में पांच दिन रही। उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी कहा कि इसे घर ले जाओ और जो सेवा हो सके वो कीजिए। रेणुका अहमदाबाद में अपनी मौसी के घर आ गई। वहां उसकी मां व मौसी ने उसकी देखभाल की। वे दोनों रेणुका को कहती कि तू अच्छी हो जाएगी। तुझे तेरे बच्चों के लिए जीना है। बीस दिन बाद रेणुका ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उससे कहा कि उसके खून में खराबी है। यह नहीं बताया कि उसके शरीर में एच. आई. वी. वायरस है। रेणुका सिर्फ एक हते की दवा लेकर आ गई क्योंकि दवा बहुत महंगी थी।

सबके मना करने के बावजूद रेणुका खराब तबियत में ही सूरत चली गई। उसे अपने दोनों बच्चों की चिन्ता थी। सूरत में रहते हुए उसकी तबियत बार-बार खराब हो जाती थी। दोनों बच्चों की पढ़ाई का, मकान आदि का खर्च उसके पिता को ही करना पड़ रहा था। छह महीने

के बाद रेणुका के पिता उसे गांव ले गए तथा बड़े बेटे को रेणुका के भाई के पास व छोटे बेटे को हॉस्टल में दाखिल करवा दिया। इस बीच रेणुका के ससुराल वाले दोनों बच्चों को लेने आएं थे लेकिन रेणुका ने बच्चों को उनके साथ नहीं भेजा। ससुराल वाले रेणुका को नहीं रखना चाहते थे।

रेणुका फिर अपनी मौसी के पास अहमदाबाद आ गई। वहां उसकी तबियत ठीक होने लगी। वजन भी 27 किलो से 50 किला हो गया। इन सबके बीच रेणुका को पता चला कि वो भी एच.आई.वी पॉजिटिव है। वह माता-पिता पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। इसलिए वह सूरत आ गई। वहां वह टयूशन व कम्प्यूटर क्लास लेने लगी जिससे उसका गुजारा होता था। बड़े बेटे को भी उसने अपने पास बुला लिया।

एक बार सरकारी अस्पताल से उसे 'गुजरात स्टेट नेटवर्क ऑफ सिंगल लिविंग विद एच. आई. वी. एड्स' के बारे में पता चला। रेणुका उस संस्था में गई तो उसे पता चला कि उसके जैसे बहुत से लोग वहां काम कर रहे हैं। रेणुका उसी संस्था में काम करने लगी। रेणुका को 'वॉलंटरी काउन्सिलिंग और टेस्टिंग सेन्टर' में नौकरी मिल गई। फिर उसने अपने छोटे बेटे को भी अपने पास बुला लिया।

रेणुका खुद काफी हद तक व्यवस्थित हो चुकी है। लेकिन दोनों बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहती है कि कैसे दोनों बच्चों की पढ़ाई आगे हो पाएगी। दोनों बच्चों के सपनों को क्या वह पूरा कर पाएगी। यह बात उसे परेशान करती है। ससुराल वालों ने तो उससे नाता तोड़ ही लिया है। उन्होंने उसे सम्पति में भी कोई हक नहीं दिया है। सब कुछ रेणुका ने अपने बलबूते पर ही किया है। जब वह बीमार थी तब भी ससुराल से कोई उससे मिलने नहीं आता था। कहने को परिवार में सब लोग हैं लेकिन रेणुका से किसी ने कोई संबंध नहीं रखा है। अपनी बीमारी से भी वह अकेले ही जूझ रही है।

रेणुका को एच आई वी/एडस की सेकेन्ड (द्वितीय) लाइन दवाइयां लेनी पड़ती हैं, जो सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। महीने भर की दवाई की कीमत रु. 6000 है। रेणुका को यह दवाई एक दान दाता उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन वह अन्य पोसिटिव लोगों के लिये चिंतित है, जिनके पास कोई विकल्प नहीं है।

काम के दौरान रेणुका ने सोचा कि उसके जैसी न जाने कितनी औरतें हैं जिन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह सोचकर उसने स्टेट वुमन फोरम बनाने का निर्णय लिया। पूरे गुजरात से एकल महिलाओं को बुलाकर चुनाव करवाए गए तो रेणुका को चेयर पर्सन बनाया गया। यह फोरम एकल महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करता है। फोरम में रेणुका सक्रिय रूप से जुड़ी है।